रजिस्ट्री सं. डी.—(डी एन)—73 REGISTERED NO. D—(DN)—73

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 10] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 9, 1985 (फाल्गुन 18, 1906)
No. 10] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 9, 1985 (PHALGUNA 18, 1906)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	259
भाग I—खंड 2—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	215
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	1
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	213
भाग II—खंड I—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खंड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खंड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के विवरण तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खंड 3 या खंड 4 में प्रकाशित होते हैं)	
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	
भाग III—खंड 1—उच्चतम न्यायालय, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	4433
भाग III—खंड 2—पेटेन्ट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं और नोटिस	225
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं	53
भाग III—खंड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	633
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्ति और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस	21
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़े को दिखाने वाला अनुपूरक	*

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई।

CONTENTS

	PAGES
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) ..	181
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)	215
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	213
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) on General Statutory Rules & Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administrations of Union Territories)	
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the Supreme Court, Auditor General, Union Public Service Commission, Railways Administrations, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	4433
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta .. .	225
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners ..	53
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies ..	633
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	21
PART V—Supplement showing statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi ..	*

*Folios Nos. not received

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधिसर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 जनवरी, 1985

सं० 20-प्रेज/85—राष्ट्रपति निम्नांकित व्यक्तियों को उनकी उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के उपलक्ष्य में "विशिष्ट सेवा मैडल" प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं :—

1. ब्रिगेडियर मोहिन्दर सिंह (आई० सी०-6605), आर्टिलरी ।
2. ब्रिगेडियर नरंजन सिंह खेड़ा (आई० सी-6147), इन्फैंट्री ।
3. ब्रिगेडियर रंगास्वामी नरसिम्हन (आई० सी-7384, एस० सी०, (इन्फैंट्री) (जाट) ।
4. ब्रिगेडियर शेर जंग राठौर (आई० सी-11024), मैकनाइज्ड इन्फैंट्री ।
5. ब्रिगेडियर कुंजुन्नी पिल्ली गोपीनाथन कुरूप (आई० सी-5360), सिगनल्स, (सेवा निवृत्त) ।
6. ब्रिगेडियर कृष्ण कुमार सहगल (आई० सी-7726), इलैक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर्स ।
7. ब्रिगेडियर विश्वास सदाशिव जोगलेकर (आई० सी-7453), ए० एस० सी० ।
8. ब्रिगेडियर सुधीर कुमार विस्वास (एम० आर-00632), आर्मी मेडिकल कोर ।
9. ब्रिगेडियर गोपाल वेंकटारमानी (एम० आर-00765), ए० एम० सी० ।
10. मेजर जनरल वर्गीज जॉन (आई० सी-6181), ए० ओ० सी० ।
11. ब्रिगेडियर अनन्त भानु गोर्थी (आई० सी-8620), जे० ए० जी० विभाग ।
12. कर्नल धर्मवीर भामड़ा (आई० सी-8149), आर्टिलरी (सेवा निवृत्त) ।
13. कर्नल सूरत सिंह बाजवा (आई० सी-10029), आर्टिलरी ।
14. कर्नल तिलक राज पूरी (आई० सी-6172), जम्मू और कश्मीर राइफल्स (सेवा निवृत्त) ।
15. कर्नल नरेन्द्र सिंह नेगी (आई० सी-6418), कुमाऊं रेजिमेंट (सेवा निवृत्त) ।
16. कर्नल तरलोचन सिंह राय (आईस सी-7794), इन्फैंट्री ।
17. कर्नल पृथ्वी नाथ (आई० सी-8575), इन्फैंट्री ।
18. कर्नल प्रताप शंकर राव शिंडे (आई० सी-11189), इन्फैंट्री ।
19. कर्नल रामदास मोहन (आई० सी-12584), इंफैंट्री ।
20. कर्नल सुरेन्द्र पाल सिंह (आई० सी-13556), पैराशूट रेजिमेंट ।
21. कर्नल जोगिन्दर सिंह राव (आई० सी-11812), इंजीनियर्स ।
22. कर्नल सुभाष चन्द्र मलिक (आई० सी-7948), सिगनल्स (मरणोपरान्त) ।
23. कर्नल पुथैट्ट जकारियस मणि (आई० सी-12059), सिगनल्स ।
24. कर्नल पूर्ण सिंह हीत (आई० सी-6740), इलैक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स (सेवा निवृत्त) ।
25. ब्रिगडियर वीर वात्सल गुप्ता (आई० सी-10097), इलैक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स ।
26. कर्नल प्रेम कृष्ण दास कपूर (आई० सी-8560), आर्मी सर्विस कोर ।
27. कर्नल धीरेन बारदलोई (एम० आर-0641), आर्मी मेडिकल कोर ।
28. कर्नल महादेव पाल (एम० आर-1412), आर्मी मेडिकल कोर ।
29. कर्नल राजिन्दर कुमार सुरी (एम० आर-01420), ए० एम० सी० ।
30. कर्नल हरसरन सिंह (एम० आर०-1427), आर्मी मेडिकल कोर ।
31. कर्नल रणजीत सिंह वर्मी (एम० आर-1353), आर्मी मेडिकल कोर ।
32. कर्नल अशोक माधव भादभाडे (आई० पी-7845), आर्मी आर्डनेंस कोर ।
33. ब्रिगेडियर जैकब सैम्यूल (आई० सी-8151), आर्मी आर्डनेंस कोर ।
34. लेफ्टिनेंट कर्नल खुसरो गुस्ताद जलनावाला (आई० सी-7049), आर्मर्ड कोर ।
35. लेफ्टिनेंट कर्नल बलदेव कृष्ण (आई० सी-13750), इंजीनियर्स ।
36. कर्नल सतीश चन्द्र चोपड़ा (आई० सी-13963), राज राइफल्स ।
37. लेफ्टिनेंट कर्नल प्रमोद शरद शेकदर (आई० सी-14553), गार्ड्स ।
38. लेफ्टिनेंट कर्नल मंगू कृष्ण राव (आई० सी-14748), जाट ।
39. लेफ्टिनेंट कर्नल सुभाष चन्द्र भूमाया अम्बेप (आई० सी-14776), गोरखा राइफल्स ।
40. लेफ्टिनेंट कर्नल कृष्ण पाल सिंह (आई० सी-15877), राजपूताना राइफल्स ।
41. लेफ्टिनेंट कर्नल विष्णु कुमार अग्रवाल (आई० सी-16259), जाट राइफल्स ।
42. लेफ्टिनेंट कर्नल सुरेन्द्र सिंह हाड़ा (आई० सी-18096), कुमाऊं ।
43. लेफ्टिनेंट कर्नल सुरेश बाबू खन्ना (आई० सी-18739), मराठा लाइट इन्फैंट्री ।
44. लेफ्टिनेंट कर्नल जंग बहादुर मेहता (आई० सी-18769), एस० एम०, डोगरा ।
45. लेफ्टिनेंट कर्नल कैलाशपति नारायण सिंह (आई० सी०-20312), पंजाब रेजिमेंट ।

46. लेफ्टिनेंट कर्नल जय सिंह (आई० सी–20370), सिख लाइट इन्फैंट्री ।
47. लेफ्टिनेंट कर्नल रवीन्द्र सिंह मान (आई० सी–20637), 14 राजपूत रेजिमेंट ।
48. लेफ्टिनेंट कर्नल गुरिन्दरजीत सिंह सिद्दू (आई० सी–20747), ग्रेनेडियर्स ।
49. लेफ्टिनेंट कर्नल मदन कुमार वर्मा (आई० सी–21570), राजपूताना राइफल्स ।
50. लेफ्टिनेंट कर्नल बासदेव सिंह राजावत (आई० सी–22145), राजपूताना राइफल्स ।
51. लेफ्टिनेंट कर्नल सुरिन्दर नाथ महाजन (आई० सी–15061), इंजीनियर्स ।
52. लेफ्टिनेंट कर्नल मैथ्यू मम्मेन (आई० सी–15792), इंजीनियर्स ।
53. लेफ्टिनेंट कर्नल सुरेश दत्त (आई० सी–16607), इंजीनियर्स ।
54. लेफ्टिनेंट कर्नल वजाहत कबीर (आई० सी–19803), इंजीनियर्स ।
55. लेफ्टिनेंट कर्नल लिलू तैहिलियानी (आई० सी–12555), सिगनल्स ।
56. लेफ्टिनेंट कर्नल रवीन्द्र कुमार कश्यप (आई० सी–13538), इलैक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स ।
57. लेफ्टिनेंट कर्नल सुरेन्द्र कुमार जैन (आई० सी–13954), ई० एम० ई० ।
58. लेफ्टिनेंट कर्नल पुरषोत्तम विग (आई० सी–16048), इलैक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स ।
59. लेफ्टिनेंट कर्नल श्याम पाल सिंह (आई० सी–15975), आर्मी सर्विस कोर ।
60. लेफ्टिनेंट कर्नल हीरामणि अर्थवाल (आई० सी–16006), आर्मी सर्विस कोर ।
61. लेफ्टिनेंट कर्नल जवाहीर लाल मिस्कीन (आई० सी–18508), आर्मी सर्विस कोर ।
62. लेफ्टिनेंट कर्नल सताप कुमार सारकेर (एम० आर–01119), एस० एम०, आर्मी मेडिकल कोर ।
63. लेफ्टिनेंट कर्नल विजय वामन तिलक (एम० आर–02325), आर्मी मेडिकल कोर ।
64. लेफ्टिनेंट कर्नल प्रत्युश चन्द्र मल्लिक (एम० आर–02398), ए० एम० सी० ।
65. लेफ्टिनेंट कर्नल विजय सागर मदान (एम० आर–02420), आर्मी मेडिकल कोर ।
66. लेफ्टिनेंट कर्नल नेवालकोनार मणिवन्नन (डी० आर–10193), आर्मी डेंटल कोर ।
67. लेफ्टिनेंट कर्नल (कुमारी) आयपति सुबैया नायडू सरस्वती (एम० आर–12657), मिलिटरी नर्सिंग सर्विस ।
68. लेफ्टिनेंट कर्नल विनोद कृष्ण भटनागर (वी 62), रिमाउंट एंड वैटेरिनरी कोर ।
69. लेफ्टिनेंट कर्नल यशोदा नन्दन उपाध्याय (वी 171) रिमाउंट एंड वैटेरिनरी कोर ।
70. मेजर कामरगोड पलत रमेश (आई० सी–27029), आर्मर्ड कोर ।
71. मेजर सुरिन्दर सिंह चौधरी (आई० सी–12602), ग्रेनेडियर्स ।
72. मेजर आनन्द चतुर्वेदी (आई० सी–13770), पैराशूट रेजिमेंट ।
73. मेजर शम्भु शरण पांडेय (आई० सी–14733), गोरखा राइफल्स ।
74. मेजर फेवर बेदर माइलिमुगण (आई० सी–20434), गोरखा राइफल्स ।
75. मेजर गायकवाड़ प्रताप सोहनराव (आई० सी–20741), जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फैंट्री ।
76. मेजर रणबीर सिंह मघेरा (आई० सी–28478), ब्रिगेड आफ गार्ड्स ।
77. मेजर गुरमुख सिंह गिल (आई० सी–29581), वीर चक्र, पंजाब ।
78. मेजर पवन कुमार नायर (आई० सी–19043), इंजीनियर्स ।
79. मेजर नरिन्दर सिंह (आई० सी–23846), आर्मी सर्विस कोर ।
80. मेजर करन सिंह (आई० सी–26108), आर्मी सर्विस कोर ।
81. मेजर (कुमारी) सोक्कलिंगम चन्द्र (एन० आर–13890), एम० एन० एस० ।
82. मेजर कृष्णमूर्ति कोतंडपाणि (आई० सी–29354), इंटैलिजेंस कोर ।
83. मेजर जोगिन्दर सिंह बैंस (आई० सी–22536), आर्मी आर्डनेंस कोर (सेवा निवृत्त) ।
84. कैप्टन जसमेर सिंह चंदेल (आई० सी–30530), 4 राजपूत ।
85. कैप्टन रामकृष्ण वहिया (आई० सी–32374), महार रेजिमेंट ।
86. कैप्टन सदाशिव कुंजीरा बापैया (आई० सी–32600), 3 गोरखा राइफल्स ।
87. लेफ्टिनेंट कर्नल जयंत कुमार कार (एम० आर–01839), आर्मी मेडिकल कोर ।
88. लेफ्टिनेंट कर्नल मदन मोहन गुप्ता (एम० आर–1939), आर्मी मेडिकल कोर ।
89. लेफ्टिनेंट कर्नल मोहिन्दर सिंह (एम० आर–01974), आर्मी मेडिकल कोर ।
90. कैप्टन अशोक प्रताप सिंह (आई० सी–33465), गढ़वाल राइफल्स ।
91. कैप्टन कुलदीप सिंह सूच (आई० सी–33010), इंजीनियर्स ।
92. कैप्टन राकेश वाही (आई० सी–38671), इंजीनियर्स ।
93. कैप्टन परमजीत सिंह (आई० सी–30151), सिगनल्स ।
94. कैप्टन सर्वजीत सिंह (एस० एल–2413), ई० एम० ई० ।
95. कैप्टन (श्रीमती) जसबीर कौर ग्रेवाल (एन० आर–15325), एम० एन० एस० ।
96. डिप्टी कमांडेंट सूरज कुमार तामंग (ए० आर–93), असम राइफल्स ।
97. उप पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार, सी० आर० पी० एफ० ।
98. सैकिंड लेफ्टिनेंट रवि कुमार [illegible] (आई० सी–40727), सिगनल्स ।
99. जे० सी–51147 सूबेदार मेजर थांगलिरा, असम रेजिमेंट ।
100. जे० सी–69035 सूबेदार मेजर दरबारा सिंह, सिख रेजिमेंट ।
101. जे० सी–60279 सूबेदार मेजर सुख राम आर्या, बिहार ।
102. जे० सी–91800 सूबेदार मातू सिंह, राजपूताना राइफल्स ।
103. जे० सी–91791 सूबेदार ओम प्रकाश बुल, इंजीनियर्स ।
104. जे० सी–97923 सूबेदार अवतार सिंह, सिगनल्स ।
105. जे० सी–116037 सूबेदार हरिहरण, टी० ए०, सिगनल्स ।
106. जे० सी–53084 सूबेदार प्रफुल कुमार बड़जीना, ए० एम० सी० ।
107. जे० सी०–85286 सूबेदार प्रेम चन्द शाद, इंटैलिजेंस कोर ।

108. 1565393 हवलदार मारुति उस्तेकर, इंजीनियर्स ।
109. 1542560 लांस नायक सोपान चन्द्र राव यादव, इंजीनियर्स ।
110. कैप्टन जेरोम केस्तीलीनों–60082 जैड ।
111. कैप्टन हरचन्द सिंह–60109 के ।
112. कैप्टन मतबीर सिंह खन्ना (00530 बी०) ।
113. कैप्टन सुहास वासुदेव पुरोहित–60122 आर ।
114. कमांडर प्रणव कुमार राय–60083 ए ।
115. कमांडर रमेश कुमार अहलुवालिया (00612 आर०) ।
116. कमांडर श्रीनिवास वरदाचारी गोपालाचारी (00713 डब्ल्यू) ।
117. कमांडर कुरुपथ वासुपुरथ विजयगोपालन–00785 एच ।
118. कमांडर अरुण प्रकाश भट्टाचार्य–60138 ए ।
119 कमांडर रविन्दर कृष्ण भाटिया (40251–बी) ।
120. कमांडर गुलशन राय सरना (40279 टी) ।
121. कमांडर बीरेन्द्र सिंह रणधावा–40298 के ।
122. कमांडर पालयानवीतिल कुन्हामेवकुट्टी मोहम्मद (40303 वाई) ।
123. कमांडर सतपाल शर्मा 50156 आर ।
124. कमांडर जंघयाला वेंकट अवधानुलु 50277 आर ।
125. लेफ्टिनेंट कमांडर शरीफ अहमद खां (40450 एफ) ।
126 लेफ्टिनेंट कमांडर चितरपु उदय भास्कर 50321 आर ।
127. एक्टिंग कैप्टन गुरबचन सिंह कोहली–70064 के ।
128. सर्जन लेफ्टिनेंट कमांडर (श्रीमती) वीना आनन्द खडेकर (75273 जैड) ।
129. लेफ्टिनेंट (स्पेशल ड्यटी एयर इंजीनियरी) उज्जल सिंह, 86022 बी ।
130. लेफ्टिनेंट (स्पेशल ड्यटी मैरीन इंजीनियर) ओंकार चन्द–85056 एच, एन एम ।
131. कमांडर (स्पेशल ड्यटी बोसन) दर्शन लाल 83160 जैड, एन एम ।
132. पोन्नाचथ राधाकृष्णन नायर, मास्टर चीफ पेट्टी अफसर (फोटो) 1, 046913 वाई ।
133. सूर्य प्रसाद सिंह, मास्टर चीफ पेट्टी अफसर, फर्स्ट क्लास, 048084 एच ।
134. कुन्नीयूर प्रेमन, मास्टर चीफ इलैक्ट्रिकल आर्टिफिसर रेडियो, सैकिंड क्लास (092612–एच) ।
135. विंग कमांडर रमेश चन्द्र गोसाईं, वीर चक्र (9447), उड़ान (पायलट) ।
136. स्क्वाड्रन लीडर अरविंद कुमार नागलिया (11833), उड़ान (पायलट) ।
137. विंग कमांडर हरबख्स परमिन्दर सिंह, वीर चक्र, (7485), फ्लाइंग (नेवीगेटर) ।
138. विंग कमांडर माणिकम चन्द्रशेखरन (8471), फ्लाइंग (नेवीगेटर) ।
139. विंग कमांडर दिनेश चन्द्र निगम (7938), एयरोनाटिकल इंजीनियरिंग (इलैक्ट्रानिक्स) ।
140. स्क्वाड्रन लीडर मनमोहन कुमार राणा (10688), एयरोनाटिकल इंजीनियरग (इलैक्ट्रानिक्स) ।
141. स्क्वाड्रन लीडर समरेन्द्र नाथ दासगुप्ता (12448), एयरोनाटिकल इंजीनियरिंग (इलैक्ट्रानिक्स) ।
142. विंग कमांडर सत्यमूर्ति श्रीधर (7885) ए ई (एम) ।
143. फ्लाइट लेफ्टिनेंट बेल्लीगुंड कृष्णमूर्ति मुरली (13728), एयरोनाटिकल इंजीनियरिंग (मैकेनिकल) ।
144. फ्लाइंग अफसर नवरतन शुक्ला (16475), एयरोनाटिकल इंजीनियरिंग (मैकेनिकल) ।
145. ग्रुप कैप्टन सुदेश पाल वोहरा (5643), एडमिनस्ट्रेटिव ।
146. विंग कमांडर दिनेश चन्द्र ध्यानी (6590), एडमिनस्ट्रेटिव ए टी सी ।
147. विंग कमांडर बावा गुरु प्रताप सिंह मल्ला (7391), एडमिनस्ट्रेटिव ।
148. विंग कमांडर कुंभपति वेणुगोपाल कृष्णा शास्त्री (7513), एडमिनस्ट्रेटिव ।
149. विंग कमांडर अयैनापुड़ी विजय पाल (9190), एडमिनस्ट्रेटिव ।
150. विंग कमांडर शिव लाल चोपड़ा (9631), एडमिनस्ट्रेटिव ।
151. विंग कमांडर सुब्रामणियन नटराजन (6447), लोजिस्टिक्स ।
152. विंग कमांडर जगदीश सिंह दलाल (9228), लोजिस्टिक्स ।
153. स्क्वाड्रन लीडर थकादियिल जोसेफ मथाइ (8597), लोजिस्टिक्स ।
154. स्क्वाड्रन लीडर किरणचन्द्र इन्द्रवदन त्रिवेदी (11788), मैटरोलोजिकल ।
155. विंग कमांडर सुधांशु कुमार अग्रवाल (6486 के), मेडिकल/पी सी ।
156. विंग कमांडर कुक्केहल्ली प्रभाकर हेगड़े (7253), मेडिकल ।
157. 221926–एफ वारंट अफसर रमेश चन्द्र प्रभाकर एम टी/फिटर ।
158. 227674–के वारंट अफसर रमण गौड़ रामपुरम वेंकट, इन्स्ट्रूमेंट फिटर ।

सं० 21–प्रेस/85––राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्ति को उनकी उच्च-कोटि की विशिष्ट सेवा के उपलक्ष्य में "विशिष्ट सेवा मैडल का बार" प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं :—

1. ब्रिगेडियर प्रेम पॉल सिंह (आई सी–11512), वी एस एम, इन्फैंट्री ।

सं० 22–प्रेस/85––राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों को उत्कृष्ट वीरता के लिए "कीर्ति चक्र" प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं :—

1. जी–154788 बी आर ग्रेड–1 रवीन्द्र नाथ गुलेरिया (मरणोपरान्त) (पुरस्कार की प्रभावी तिथि 6 अप्रैल, 1983)

जी–154788 बी आर ग्रेड–1 रवीन्द्र नाथ गुलेरिया अप्रैल, 1983 के दौरान श्रीनगर–लेह रोड पर सेक्टर द्रास–कारगिल सड़क पर बर्फ हटाने के काम की देख-रेख कर रहे थे ।

6 अप्रैल, 1983 को श्री गुलेरिया डोजर और बर्फ हटाने की मशीन के चालकों का मार्गदर्शन कर रहे थे । अचानक ऊपर से बर्फ फिसली और नीचे आते-आते उसने एक भीषण हिमखंड का रूप धारण कर लिया । संतरी ने खतरे का संकेत किया । श्री रवीन्द्र नाथ गुलेरिया अपने को बचाने की बजाय अन्य लोगों को इस खतरे से आगाह करने के लिए दौड़े जो समय पर इसे भांप नहीं सकते थे । हिमखंड के नीचे आकर टकरा जाने के बाद पता लगा कि खतरे की समय पर सूचना मिल जाने के कारण चार व्यक्ति अपेक्षाकृत सुरक्षित स्थान की ओर भाग गए थे और वे बर्फ में थोड़ा ही दब पाए । लेकिन तीन व्यक्ति उसमें दबकर लापता हो गए । उनमें से एक श्री रवीन्द्र नाथ गुलेरिया थे ।

इस प्रकार श्री रवीन्द्र नाथ गुलेरिया ने साहस और असाधारण निःस्वार्थ सेवा-भावना का परिचय देते हुए अपना जीवन बलिदान कर दिया ।

2. श्री बचन सिंह सधराव,
मुख्य इंजीनियर (परियोजना) स्वस्तिक ।
(पुरस्कार की प्रभावी तिथि 10 सितम्बर, 1983)

10/11 सितम्बर, 1983, को उत्तरी सिक्किम में मानुल में एक भीषण भूस्खलन हुआ जिससे सीमा सड़क के 65 कार्मिक दब गए अथवा बह गए। कई स्थानों पर राजमार्ग पूर्णतया नष्ट हो गए।

सीमा सड़क संगठन के मुख्य इंजीनियर (परियोजना) स्वस्तिक श्री बचन सिंह अपनी सुरक्षा की परवाह किए बगैर अपने कर्मचारियों में आत्म-विश्वास बनाए रखने के लिए सड़क के टूटे हुए भागों से होते हुए चट्टानों तथा नालों को पार करते हुए सड़क के सभी क्षतिग्रस्त स्थानों पर गए। क्षति का जायजा लेने के बाद तुरन्त मरम्मत का काम प्रारम्भ कर दिया। निरन्तर बारिश में ही चढ़ाइयों पर चढ़कर इन्होंने उन दो क्षतिग्रस्त पुलों का भी निरीक्षण किया जिनके बह जाने का खतरा था और मरम्मत कार्य शुरू करने के आदेश दिए। यदि समय पर यह कार्रवाई नहीं की होती तो न केवल ये दोनों पुल बह जाते अपितु चुशगथंग तक संचार व्यवस्था को दोबारा चालू करना कठिन हो जाता।

श्री बचन सिंह सधराव के कुशल नेतृत्व में यातायात को दोबारा चालू करने का काम निर्धारित समय से पूर्व भलीभांति पूर्ण हुआ।

इस प्रकार मुख्य इंजीनियर श्री बचन सिंह सधराव ने साहस, नेतृत्व और उच्चकोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

3. श्री आर० बी० कुलकर्णी,
अधीक्षक इंजीनियर (सिविल)।
(पुरस्कार की प्रभावी तिथि 10 सितम्बर, 1983)

10/11 सितम्बर, 1983 की रात उत्तरी सिक्किम में मानुल में भीषण भूस्खन हुआ जिसमें जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स के कार्मिकों के मकान, मजदूरों की झोपड़ियां और सरकारी भंडार घर पूरी तरह मिट गए या दब गए। इसमे 65 लोगों की जानें गईं और एक लाख से अधिक की संपत्ति नष्ट हुई।

इस घटना का समाचार पाकर श्री आर० बी० कुलकर्णी ने भूस्खलनों को तुरन्त साफ करने के लिए उपलब्ध सभी कर्मचारी और साज-सामान को तैनात करने के आदेश दिए। इस कठिन कार्य को पूरा करने के लिए श्री आर० बी० कुलकर्णी अपनी जान की जोखम मे डालकर स्वयं कच्चे रास्तो और टूटी-फूटी सड़को पर पैदल चले और कार्य की पूर्ति तक उसकी देख-रेख की।

इस कार्रवाई में श्री आर० बी० कुलकर्णी ने संगठन क्षमता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

4. कैप्टन अनिल मल्होत्रा (आई सी–40114),
कुमाऊं।
(पुरस्कार की प्रभावी तिथि 3 जनवरी, 1984)

3 जनवरी, 1984, को 7 कुमाऊं के सैकिंड लेफ्टिनेंट (अब कैप्टन) अनिल मल्होत्रा वार्षिक छट्टी पर थे। जब ये अपने भाई के साथ चंडीगढ़ के सेक्शन 18 सी में लायन्स क्लब ग्राउंड की ओर जा रहे थे तो अचानक दो उकैतों ने स्कूटर से आकर इनका रास्ता रोक लिया। बंदूक तानकर इनसे बहुमूल्य चीजें सौंप देने को कहा। कैप्टन अनिल मल्होत्रा चुप रहे और सूझ-बूझ का परिचय दिया तथा एक उकैत का रिवाल्वर वाला हाथ पकड़ लिया। मुंह पर बार-बार प्रहार होने पर भी वह उकैत से भिड़े रहे और उसे रिवाल्वर नही चलाने दिया। इस बीच इनके भाई सुनील मल्होत्रा भी दूसरे उकैत से भिड़ गए। अन्त में दोनों भाई उन उकैतों पर जो घाव में आतंकवादी पाए गए, हावी होने में सफल हो गए।

इस प्रकार कैप्टन अनिल कुमार मल्होत्रा ने अपराधियों को पकड़ने में अपनी जान को जोखिम में डालकर अनुकरणीय साहस, बहिमत्ता और सूझबूझ का परिचय दिया।

5. श्री जयराम, (मरणोपरान्त)
नैमित्तिक केयर टेकर,
प्रधान डाकघर,
अलीगढ़।
(पुरस्कार की प्रभावी तिथि 21 फरवरी, 1984)

21 फरवरी, 1984, को लगभग 7 बजे शाम अलीगढ़, प्रधान डाक घर के केयर टेकर श्री जयराम, सहायक कोषाधिकारी श्री मुन्शी लाल वर्मा के साथ पास की एक इमारत से नकदी अलीगढ़ डाकघर के मुख्य राजकोष कार्यालय को ले जा रहे थे। बिजली बन्द होने के कारण उस इलाके में अंधेरा छाया हुआ था। नकदी वाला बक्सा श्री जयराम के सिर पर लदा हुआ था और श्री वर्मा उनके पीछे पेट्रोमेक्स जलाए चल रहे थे। उस इमारत के दरवाजे पर पहुंचते ही दो लुटेरों ने बक्से को छीनने की कोशिश की। उसमें 2,22,291.40 रुपए भरा था। श्री जयराम ने उन्हें बक्सा छीनने से रोका और उसे मजबूती से पकड़े रहे। इस पर उनमें से एक लुटेरे ने पिस्तौल से उनकी छाती में गोली मार दी। दूसरे ने बक्सा उठाकर भागने की कोशिश की। श्री मुन्शी लाल वर्मा ने पेट्रोमेक्स से ही उस पर वार किया। परन्तु लटेरे बढ़ते-बढ़ते पास में खड़े किए हुए अपने स्कूटर तक पहुंच गए। वहां उनका तीसरा साथी जो उनकी प्रतीक्षा कर रहा था, स्कूटर चालू करने लगा। इत्तफाक से स्कूटर नीचे गिर गया और वे उसके नीचे दब गए। स्थिति का लाभ उठाकर श्री मुन्शी लाल वर्मा ने पेट्रोमेक्स से कई बार उन पर वार किए, नकदी वाला बक्सा छीना और वापस अपने प्रधान कार्यालय में चले गए। इसी बीच श्री जयराम की घावों के कारण मृत्यु हो गई।

इस प्रकार श्री जयराम ने अपने प्राणों की आहुति देकर सरकारी धन को बचाने में साहस और असाधारण कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

6. लेफ्टिनेंट कर्नल तेजिन्दर सिंह (आई सी–15868),
गढ़वाल राइफल्स।
(पुरस्कार की प्रभावी तिथि 5 जून, 1984)

5/6, 1984, की रात को "ब्लू स्टार" संक्रिया के दौरान 9 गढ़वाल राइफल्स के कमान अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल तेजिन्दर सिंह को एक प्रमुख धार्मिक स्थान के एक हिस्से पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल तेजिन्दर सिंह अपनी कमान की दो कम्पनियों को लेकर कार्रवाई के स्थान की ओर बढ़े। अपने बचाव की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए उन्होंने आतंकवादियों के जोरदार फायर के दौरान टोह लगाई और बहुत सावधानीपूर्वक कार्रवाई की योजना बनाई। 5/6 जून, 1984, की रात को 22.00 बजे लेफ्टिनेंट कर्नल तेजिन्दर सिंह के नेतृत्व में 9 गढ़वाल राइफल्स के सैनिक फायर की परवाह न करते हुए उस इमारत में दाखिल हो गए। ऐसे में आतंकवादियों के असरदार फायर से सैनिकों के बहुत संख्या में हताहत हो जाने की वजह से कार्रवाई कुछ धीमी पड़ गई। लेफ्टिनेंट कर्नल तेजिन्दर सिंह ने स्वयं अपनी बटालियन का नेतृत्व किया और इमारत पर हमला बोल दिया। इनके साहस, नेतृत्व और धीरता को देखकर उनके सैनिक इमारत के अंदर अपना कब्जा बढ़ाते चले गए। जब भी आतंकवादियों के अचूक फायर के कारण आगे बढ़ना रुकता, लेफ्टिनेंट कर्नल तेजिन्दर सिंह अपने सैनिकों की हिम्मत बढ़ाने और मार्गदर्शन करने के लिए स्वयं आगे आ जाते, हालांकि ऐसा करके वह स्वयं आतंकवादियों के फायर की जद में आ जाते थे। लेफ्टिनेंट कर्नल तेजिन्दर सिंह द्वारा तेजी से की गई कार्रवाई ने आतंकवादियों को चकित कर दिया और 256 आतंकवादियों को पकड़ लिया गया।

इस संक्रिया के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल तेजिन्दर सिंह ने साहस, नेतृत्व और अति असाधारण कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

7. लेफ्टिनेंट कर्नल इसरार रहीम खान (आई सी–22068),
गार्ड्स।
(पुरस्कार की प्रभावी तिथि 5 जून, 1984)

"ब्लू स्टार" संक्रिया के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल इसरार रहीम खान 10 गार्ड्स की कमान संभाले हुए थे। 5/6 जन, 1984 की रात को

उनकी बटालियन को भारी किलेबन्दी वाले एक धार्मिक स्थान के एक हिस्से पर कब्जा करने का काम सौंपा गया। आतंकवादियों के किलेबन्द मोर्चों से स्वचालित हथियारों से भारी फायर होने की वजह से उनकी बटालियन के सैनिक भारी संख्या में हताहत हुए। ऐसे में लेफ्टिनेंट कर्नल इसरार रहीम खान अपनी जान की परवाह न करते हुए खुद आगे बढ़े और अपने सैनिकों को प्रेरित करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। आतंकवादियों के भारी फायर के बावजूद दृढ़ संकल्प और अनुकरणीय साहस दिखाते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल इसरार रहीम खान ने इस संक्रिया में अपने सैनिकों का सफल नेतृत्व किया।

इस संक्रिया के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल इसरार रहीम खान ने दृढ़-संकल्प, अनुकरणीय साहस, नेतृत्व, शौर्य और अति असाधारण कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

8. मेजर हितेश कुमार पलटा (आई सी–17091), (मरणोपरान्त)
कुमाऊं।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि 5 जून, 1984)

5/6 जून, 1984, की रात को आतंकवादी विरोधी कार्रवाइयों के दौरान, मेजर हितेश कुमार पलटा 9 कुमाऊं की "ए" कम्पनी की कमान संभाले हुए थे। उनकी कम्पनी को एक विशाल तिमंजिली इमारत के भू-तल (निचली मंजिल पर कब्जा करने का काम सौंपा गया जिसकी जबरदस्त किलेबन्दी की गई थी और उसमें आतंकवादी मजबूती से जमे हुए थे। टोह लगाने का समय नहीं था, यह सोच कर, मेजर हितेश कुमार पलटा विस्फोटकों से दीवार तोड़कर दरवाजे से अंदर घुस गए और तेजी से निचली मंजिल के आतंकवादियों का सफाया कर दिया जिससे बाकी कम्पनियां ऊपर की दो मंजिलों और छत पर जा पहुंचने में सफल हो सकीं। इस पूरी कार्रवाई के दौरान, मेजर हितेश कुमार पलटा आगे ही आगे डटे रहे, और उनके इस असाधारण शौर्य से प्रेरित होकर ही उनके सैनिक, भारी विरोध के बावजूद इस कठिन कार्य को कर पाने में सफल हो पाए। मेजर पलटा ने बड़ी संख्या में आतंकवादियों को उनके कुछ मुख्य नेताओं के साथ जन्नी भी बनाया।

7 जून, 1984, को प्रातः कुछ आतंकवादी नजर बचा कर फिर से उस इमारत के एक हिस्से में घुस आए। उन्होंने एक संतरी को मार दिया और अन्य दो को जख्मी कर दिया। मेजर हितेश कुमार पलटा अपनी जान जोखिम में डालकर इमारत के एक कमरे में से आतंकवादियों को निकालने के लिए एक छोटी सी पार्टी लेकर आगे बढ़े। इसी कार्रवाई में आतंकवादियों की एक मशीन-गन की बौछार से वे वहीं शहीद हो गए।

इस संक्रिया के दौरान मेजर हितेश कुमार पलटा ने विशिष्ट शौर्य, दृढ़ संकल्प, अद्भुत पहल-शक्ति, प्रेरणाप्रद नेतृत्व और अति असाधारण कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

9. कप्तान हरदेव सिंह (आई सी–27619),
मैकेनाइज्ड इन्फैन्ट्री।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि 5 जून 1984)

पंजाब में आतंकवादियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई के दौरान, कैप्टन हरदेव सिंह एक मोटर-सवार कंपनी के कम्पनी कमांडर थे। 5/6 जून, 1984, की रात को उनकी कंपनी को किलेबंद इमारतों में छिपे आतंकवादियों को निकालने में पैदल-सेना की कार्रवाई में मदद देने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जैसे ही इनकी कवचित गाड़ी उस इमारत में घुसी, उस पर आतंकवादियों के टक-रोधी गोलों की बौछार हुई। कैप्टन हरदेव सिंह अपने सभी सैनिकों को इकट्ठा करके, खुद उनका नेतृत्व करते हुए हमले के लिए बढ़ रही पैदल सेना में शामिल हो गए और इसी बीच जख्मी भी हो गए। बहुत अधिक जख्मी हो जाने के बावजूद, वे जवानों का हौसला बढ़ाते रहे और उन्हें प्रेरित करते रहे ताकि वे अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सकें।

इस कार्रवाई में कैप्टन हरदेव सिंह ने विशिष्ट शौर्य, दृढ़ संकल्प, प्रेरणाप्रद नेतृत्व और अति असाधारण कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

10. कैप्टन विनोद कुमार नाइक (आई सी–31011),
गढ़वाल राइफल्स।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि 5 जून, 1984)

5/6 जून, 1984, की रात आतंकवादियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई के दौरान, कैप्टन विनोद कुमार नाइक प्लाटून कमांडर का कार्य कर रहे थे। उन्हें मजबूत किलेबंदी वाली कुछ इमारतों को हथियाने का कार्य सौंपा गया था। कैप्टन विनोद कुमार नाइक ने रिकायललेस गन से दरवाजे को उड़ा डालने की कोशिश की लेकिन आतंकवादियों द्वारा उन पर फैंके गए फास्फोरस बम के फटने से उनकी जीप में आग लग गई। कैप्टन विनोद कुमार नाइक ने तुरन्त दूसरे दरवाजे को अपना निशाना बनाया जहां उनकी प्लाटून को आतंकवादियों के छोटे लेकिन प्रभावी आग्नेशस्त्रों का सामना करना पड़ा। उन्होंने उस इमारत के दरवाजे और दीवार में सुरंग बना ली और उस छोटी-सी सुरंग से होकर वे अपने आदमियों का नेतृत्व करते हुए अन्दर घुस गए। आतंकवादियों की भारी गोलीबारी के बावजूद वे अपने आदमियों को प्रेरणा देते रहे तथा उत्साहित करते रहे। आगे बढ़ने के खतरों की परवाह किए बगैर कैप्टन विनोद कुमार नाइक उस इमारत के, एक के बाद एक कमरे से आतंकवादियों का सफाया करने के लिए अपने आदमियों के साथ आगे बढ़ते ही गए। इस जोखिम भरे कार्य को पूरा करने में कैप्टन विनोद कुमार नाइक के अनुकरणीय साहस, शौर्य और असाधारण नेतृत्व के कारण ही उनकी यूनिट अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाई।

इस कार्रवाई में कैप्टन विनोद कुमार नाइक ने विशिष्ट शौर्य, अद्भुत पहलशक्ति, दृढ़ निश्चय, धैर्य, प्रेरणाप्रद नेतृत्व और अति असाधारण कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

11. जे सी–98884 सूबेदार कुरुप्पन पलथ रमण रवि, (मरणोपरान्त)
मद्रास रेजिमेंट।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि 5 जून, 1984)

5/6 जून, 1984, की रात "ब्लू स्टार" संक्रिया के दौरान 26 मद्रास रेजिमेंट को एक प्रमुख भवन समूह के दक्षिणी स्कंध पर कब्जा करने का कार्य सौंपा गया। "बी" कंपनी के प्लाटून कमांडर सूबेदार कुरुप्पन पलथ रमण रवि को संक्रिया का नेतृत्व करने का आदेश मिला। वे मुश्किल से 5 मीटर ही बढ़े होंगे कि मशीनगन की बौछार उन पर होने लगी। अपने गंभीर घावों की परवाह किए बिना वे अपनी प्लाटून को आगे बढ़ाते रहे। इसी बीच, उन्हें दोबारा मशीनगन का फायर झेलना पड़ा और वे नीचे गिर पड़े। वे रेंगते हुए ऐसे स्थान पर जा पहुंचे जहां से वह आतंकवादियों की गोलीबारी का जवाब दे सकते थे। कुछ हद तक वे उस मशीनगन चौकी पर काबू पाने में सफल भी हो गए जो उनकी प्लाटून के आगे बढ़ने में रुकावट डाल रही थी। परन्तु उन्हें मशीनगन की गोली तीसरी बार फिर झेलनी पड़ी। बाद में सूबेदार कुरुप्पन पलथ रमण रवि का शव मिला।

इस कार्रवाई में, सूबेदार कुरुप्पन पलथ रमण रवि ने उत्कृष्ट वीरता, धैर्य, दृढ़ संकल्प, अद्भुत पहलशक्ति, नेतृत्व, अनुकरणीय शौर्य और अति असाधारण कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया तथा सेना की उच्चतम परम्पराओं के लिए अपना बलिदान दे दिया।

12. जे सी–84441 सूबेदार महावीर सिंह यादव, (मरणोपरान्त)
पैराशूट रेजिमेंट।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि 5 जून, 1984)

5/6 जून, 1984 की रात "ब्लू स्टार" संक्रिया के दौरान 1-परा के सूबेदार महावीर सिंह यादव "सी" टोम ग्रुप के सैक्शन-इन-कमान थे। उस टुकड़ी को संक्रिया का नेतृत्व करने और एक महत्वपूर्ण इमारत परिसर से आतंकवादियों को बाहर निकालने का आदेश दिया गया था। उग्र-आतंकवादियों ने इमारत के पूरे परिसर को भारी किलेबंदी की हुई थी और उस पर मजबूती से कब्जा किया हुआ था। उनकी टुकड़ी इमारत के मुख्य द्वार से होकर अंदर गई लेकिन उन पर आतंकवादियों ने भारी गोलीबारी शुरू कर दी जिसमें ग्रुप के कमांडर मेजर पी० सी० कटोच घायल हो

गए। सूबेदार महावीर सिंह यादव ने उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की स्वयं व्यवस्था की। परन्तु इस कार्रवाई में उन्हें मशीनगन की एक गोली लग गई। अपने घाव की परवाह किए बिना उन्होंने तुरन्त टीम ग्रुप की कमान स्वयं संभाल ली और टीम ग्रुप के अन्य सैनिकों को प्रेरित किया तथा सौंपे गए काम को पूरा करने के लिए उनका स्वयं नेतृत्व किया। इस कार्यपूर्ति के बीच उनको दूसरी बार मशीनगन की गोली लगी लेकिन अपने घाव की परवाह किए बिना उन्होंने वहीं रहने का आग्रह किया और मोर्चे से हटने से इंकार कर दिया। काफी खून बह जाने के कारण बाद में उनकी मृत्यु हो गई।

इस कार्रवाई में सूबेदार महावीर सिंह यादव ने उत्कृष्ट वीरता, साहस, नेतृत्व और अति असाधारण कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया तथा सेना की उच्चतम परम्पराओं के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।

13. जे सी–122394 नायब सूबेदार के० जार्ज कोशी, (मरणोपरान्त)
मद्रास।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि 5 जून, 1984)

5/6 जून, 1984, की रात आतंकवादी विरोधी संक्रिया के दौरान 26 मद्रास को मजबूत किलेबंदी वाले छिपने के स्थान से आतंकवादियों को बाहर निकालने का काम सौंपा गया। इसके लिए उन्हें एक भवन की पहली मंजिल के कई कमरों को साफ करना था। इस संक्रिया के दौरान नायब सूबेदार के० जार्ज कोशी "सी" कंपनी के अग्रिम प्लाटून कमांडर थे। आतंकवादियों की धुंआधार गोलीबारी के कारण सीढ़ी लगाकर पहली मंजिल तक पहुंचना संभव नहीं था। स्वचालित शस्त्रों की भारी गोलीबारी होने के बावजूद तथा भारी आपत्ति में फंसने पर भी वे सफलतापूर्वक भवन की पहली मंजिल पर पहुंच ही गए। पहली मंजिल पर पहुंचते ही उनकी प्लाटून ने बंकरों का सफाया करना शुरू कर दिया। स्वयं उन्होंने दो बंकरों को ध्वस्त किया और तीसरे की ओर दौड़े। जब वे इस बंकर से निपट रहे थे, तभी उन पर मशीनगन की एक बौछार पड़ी और वे बुरी तरह से घायल हो गए। इस समय जरा-सी भी हलचल संक्रिया की गति को कम कर देता, इसलिए आतंकवादियों की गोलीबारी की परवाह न करते हुए वे निर्भीकता से आगे बढ़े। इसी दौरान उन पर कई बार मशीनगन का फायर आया और इससे पहले कि उन्हें वहां से हटाया जा सके, उनकी घावों के कारण मृत्यु हो गई।

इस कारवाई में, नायब सूबेदार के० जार्ज कोशी ने उत्कृष्ट वीरता, दृढ़ निश्चय, साहस, अनुकरणीय नेतृत्व और अति असाधारण कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया तथा सेना की उच्चतम परम्पराओं के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया।

14. 3355827 हवलदार सरवन सिंह, (मरणोपरान्त)
गार्ड्स।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि 5 जून, 1984)

5/6 जून, 1984, की रात "ब्लू स्टार" संक्रिया के दौरान, हवलदार सरवन सिंह, 10 गार्ड्स की "डी" कंपनी की 10वीं प्लाटून के सैक्शन कमांडर थे। उनकी कंपनी को एक महत्वपूर्ण भवन समूह के एक हिस्से में से आतंकवादियों को खदेड़ने का काम सौंपा गया। भारी किलेबंदी वाली उस इमारत में आतंकवादी बड़ी मजबूती से जमे हुए थे। उनका सेक्शन जैसे ही सीढ़ियों के पास पहुंचा, आतंकवादियों ने उन पर भारी गोलीबारी की। आतंकवादी रोशनदानों से हथगोले भी फेंक रहे थे जिससे आगे बढ़ना बेहद मुश्किल हो गया। ऐसी हालत में हवलदार सरवन सिंह ने महसूस किया कि जब तक तहखाने से गोलीबारी कर रहे हथियारों का मुंह बंद नहीं किया जाएगा तब तक आगे बढ़ना संभव नहीं होगा। जान का भारी जोखिम उठाकर भी वे रेंगकर तहखाने में पहुंचे और हथगोले फेंक कर वहां से गोलीबारी करने वाले स्वचालित शस्त्रों को ध्वस्त कर दिया। पर, इस शौर्य के प्रदर्शन में हवलदार सरवन सिंह तहखाने से आई मशीनगन की बौछार का निशाना बन गए और अपने मिशन को पूरा करने में बलिदान हो गए।

इस कार्रवाई में हवलदार सरवन सिंह ने उत्कृष्ट वीरता, नेतृत्व, धैर्य, दृढ़ निश्चय और अति असाधारण कोटि की कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया तथा सेना की उच्चतम परम्पराओं के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।

15. 3970902 हवलदार चन्दर पाल ठाकुर, (मरणोपरान्त)
डोगरा रेजिमेंट।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि 5 जून, 1984)

5/6 जून, 1984, की रात "ब्लू स्टार" संक्रिया के दौरान यांत्रिक परिवहन प्लाटून के गैर कमीशन अफसर, हवलदार चन्दर पाल ठाकुर को एक राइफल सैक्शन की कमान संभालने का आदेश दिया गया तथा एक महत्वपूर्ण इमारत से आतंकवादियों को निकालने का काम सौंपा गया। इस इमारत की मजबूती से किलेबंदी की गई थी और इसमें आतंकवादी मजबूती से जमे हुए थे। वे आतंकवादियों के बहुत तेज और अचूक फायर में घिर गए। इस कार्रवाई में वे मशीनगन की गोलियों की बौछार से घायल हो गए। इतने पर भी अपने घावों तथा अपने आप की सुरक्षा की परवाह किए बिना वे रेंगते हुए आतंकवादियों की मशीनगन चौकी की ओर बढ़े और उसके ऊपर एक हथगोला फेंककर उसे नष्ट कर दिया। इसके बाद बाकी कमरों में से भी आतंकवादियों को साफ करने के लिए वे बार-बार आगे आए। इस बीच उन पर मशीनगन फायर की दूसरी बौछार हुई और वे वहीं शहीद हो गए।

इस कार्रवाई में हवलदार चन्दर पाल ठाकुर ने अद्वितीय साहस, नेतृत्व-गुणों और निजी शौर्य का परिचय दिया तथा सेना की उच्चतम परम्पराओं के लिए अपना बलिदान दे दिया।

16. 2574620 हवलदार वर्गीस मैथ्यू,
मद्रास रेजिमेंट।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि 5 जून, 1984)

5 जून, 1984, को आतंकवादी विरोधी संक्रिया के दौरान 26 मद्रास को एक ऐसी बड़ी इमारत से आतंकवादियों को निकालने का काम सौंपा गया जिसमें आतंकवादी मजबूत किलेबंदी करके जमे हुए थे। इस इमारत को आतंकवादियों ने बाकायदे में एक किले में बदल दिया था और इसका चप्पा-चप्पा स्वचालित हथियारों की मार में था। "डी" कंपनी हरावल में थी और उसे रास्ता बनाकर इमारत के दक्षिणी खंड की निचली मंजिल पर कब्जा करने का काम सौंपा गया था। हवलदार वर्गीस मैथ्यू "डी" कंपनी की एक प्लाटून के हवलदार थे। कंपनी पर सभी तरफ से भारी फायर हो रहा था जिससे अन्दर जाने के लिए मुख्य दरवाजे को छोड़कर कोई और रास्ता ढूंढना कठिन हो गया। वर्गीस मैथ्यू सबसे आगे-आगे रहे और इन्होंने आगे बढ़ने की गति को बनाए रखा। जब कंपनी इमारत में पहुंच गई तो दक्षिणी खंड पर कब्जा करने के लिए हवलदार मैथ्यू एक सैक्शन को साथ लेकर बंकरों को साफ करने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही वे एक कमरे में पहुंचे, उन पर मशीनगन से गोलियों की बौछार हुई। एक मोलोटोवकाकटेल इनके पूरे शरीर पर फैल गया और उनके सारे शरीर में आग पकड़ ली। हालांकि वे स्वयं बुरी तरह से जल रहे थे, फिर भी उन्होंने आतंकवादियों के कमरों में हथगोले फेंके और उन्हें तत्काल मार डाला। वे स्वयं उसमें गंभीर रूप से जल गए।

इस कारवाई में हवलदार वर्गीज मैथ्यू ने उत्कृष्ट साहस, शौर्य, दृढ़संकल्प, कर्त्तव्यपरायणता तथा उच्चकोटि के नेतृत्व का परिचय दिया।

17. 13610803 पैराट्रूपर जगपाल सिंह,
पैराशूट रेजिमेंट।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि 5 जून, 1984)

पंजाब में आतंकवादी विरोधी संक्रियों के दौरान पैराट्रूपर जगपाल सिंह "सी" टीम ग्रुप में थे। 5/6 जून, 1984, की रात को उस टीम को एक इमारत के एक हिस्से पर कब्जा करने का कार्य सौंपा गया जिस पर आतंकवादियों ने भारी किलेबंदी कर रखी थी और वे मजबूती से वहां जमे हुए थे। जब यह टीम ग्रुप मुख्य द्वार से उस इमारत में प्रवेश करने

का प्रयत्न कर रहा था तभी उस पर मशीनगन से बहुत भारी और लगातार फायर हुआ। पैराट्रूपर जगपाल सिंह को मार्गदर्शक स्काउट चुना गया। वे आगे बढ़ने के रास्ते पर फायर पोजिशन लेने जा ही रहे थे कि अचानक तीन आतंकवादियों से इनकी मुठभेड़ हो गई और उन्होंने उन पर फायर कर दिया। उन्होंने फौरन अपना बचाव किया और उन पर जवाबी फायर कर दिया जिससे तीनों ही आतंकवादी मारे गए। इसके बाद पैराट्रूपर जगपाल सिंह आहतों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले गए। जब वे टीम कमांडर मेजर पी० सी० कटोच को निकालने की कोशिश कर रहे थे, उनकी दोनों आंखों में किरचें आ घुसीं। लेकिन उससे डगमगाए बिना और अपने घावों और प्राणों की परवाह किए बिना वे अपने टीम कमांडर को दो सौ मीटर तक तो खुद उठाकर ले गए लेकिन उसके बाद थकान और अत्यधिक खून बह जाने के कारण बेहोशी की हालत में गिर गए।

इस कारवाई में पैराट्रूपर जगपाल सिंह ने साहस, दृढ़ संकल्प, शौर्य भाईचारे की उत्कृष्ट भावना और अति असाधारण कोटि की कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

सु० नीलकण्ठन,
राष्ट्रपति का उप सचिव

गृह मंत्रालय

(गृह विभाग)

(पुनर्वास विंग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 जनवरी 1985

संकल्प

सं० 6(2)/85-डेस्क—भारत सरकार ने भूतपूर्व पुनर्वास मंत्रालय के दिनांक 12-9-1958 के संकल्प द्वारा संगठित तथा संकल्प संख्या 6/5/दण्डक/59 दिनांक 4-3-1960 तथा 6/7/दण्डक/60 दिनांक 20-6-60 और 13-9-60 द्वारा यथा संशोधित दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया है। तदनुसार संकल्प के पैरा 2 को निम्न रूप में प्रतिस्थापित किया जाए:—

"2. प्राधिकरण का गठन निम्न प्रकार का होगा :—

1. अध्यक्ष
2. मुख्य प्रशासक, दण्डकारण्य परियोजना
3. मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश सरकार अथवा उसका मनोनीत व्यक्ति
4. मुख्य सचिव, उड़ीसा सरकार अथवा उसका मनोनीत व्यक्ति
5. मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार अथवा उसका मनोनीत व्यक्ति।
6. गृह मंत्रालय में आदिवासी कल्याण से संबंधित संयुक्त सचिव/अपर सचिव
7. गृह मंत्रालय में विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास से संबंधित संयुक्त सचिव
8. केन्द्रीय वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधि।

दण्डकारण्य परियोजना के मुख्य प्रशासक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे। एक पूर्णकालिक अधिकारी को प्राधिकरण का सचिव नियुक्त किया जायेगा।"

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रतिलिपि निम्न को भी भेज दी जाये :—

सभी राज्य सरकारें, भारत सरकार के सभी मंत्रालय, योजना आयोग, मंत्रिमण्डल सचिवालय, संघ लोक सेवा आयोग, प्रधान मंत्री सचिवालय, राष्ट्रपति के सचिव, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, सभी महालेखाकार तथा नियंत्रक, लेखा उप नियंत्रक (पुनर्वास), मान सिंह रोड, नई दिल्ली, रेलवे बोर्ड, पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, मुख्य प्रशासक दण्डकारण्य परियोजना कोरापुट (उड़ीसा)।

यह भी आदेश दिया जाता है कि ग्राम जानकारी के लिये संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

एस० के० बसु, संयुक्त सचिव

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 फरवरी 1985

संकल्प

सं० 6(4)/82-के० वी० आई० (I)—भारत सरकार ने खादी तथा ग्रामोद्योगों के संवर्धन के लिये 1957 में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना की थी। खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र के विकास की गति को बनाए रखने के लिए खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के कार्यकलापों का स्तर अब काफी बढ़ गया है। साथ ही, औद्योगिक और ग्रामीण विकास के संवर्धन के लिए नए संगठन भी अस्तित्व में आ गए हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका, इसकी नीतियों और कार्यक्रमों तथा प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं की संवीक्षा करना आवश्यक समझा गया है। इस प्रयोजन के लिये, भारत सरकार ने, तुरन्त प्रभाव से, एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे :—

1. श्री एम० रामाकृष्णाय्या, एन० ए० बी० ए० आर० डी० के भूतपूर्व अध्यक्ष तथा भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर	अध्यक्ष
2. अध्यक्ष, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग	सदस्य
3. अपर सचिव तथा वित्तीय सलाहकार उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय	सदस्य
4. खादी तथा ग्रामोद्योग प्रभाग के प्रभारी संयुक्त सचिव, औद्योगिक विकास विभाग	सदस्य
5. सलाहकार (वी० एस० आई०) योजना आयोग	सदस्य
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग	सदस्य
7. प्रो० के० कामता प्रसाद, इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनीस्ट्रेशन	सदस्य
8. श्री हरभजन सिंह, मुख्य प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली	सदस्य
9. श्री वी० पद्मानाभन, अध्यक्ष, प्रमाणीकरण समिति, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग	सदस्य
10. एक वैज्ञानिक/प्रौद्योगिकीविद	सदस्य
11. श्री वाई० ए० पण्डित राव, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी तथा ग्रामोद्योग।	सदस्य-सचिव

2. समिति के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार होंगे :—

(1) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा शीर्षस्थ स्तर के एक संगठन के रूप में इसे सौंपे गये कार्यों को पूरा करने में निभाई गई भूमिका की समीक्षा करना तथा भविष्य में इसे कौन सी भूमिका निभानी चाहिये, उसका सुझाव देना;

(2) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा चलाये गये कार्यक्रमों और नीतियों की समीक्षा करना, इनसे किस सीमा तक वांछित परिणाम मिले हैं, उनका सुनिश्चय करना, उनकी खामियों, यदि कोई हो, को बताना, कार्यान्वियन और मानिटरिंग के बेहतर उपायों का सुझाव देना व खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र की महसूस की गई आवश्यकताओं पर आधारित नई नीतियों और कार्यक्रमों का भी सुझाव देना;

(3) खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र की संस्थागत और संगठनात्मक आवश्यकताओं की जाँच करना, ऐसे परिवर्तनों, यदि कोई हों, की सिफारिश करना, जो विद्यमान संस्थागत और संगठनात्मक ढांचे में करना अपेक्षित है, ग्रामीण विकास का संवर्धन में लगे विभिन्न

संगठनों के बीच स्थापित किये जाने वाले प्रभावी सम्बन्धों की परिभाषा करना और उनका सुझाव देना, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग और राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्डों के बीच उनके सामान्य लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में बेहतर समन्वय तथा बेहतर कार्यशील सम्बन्ध स्थापित करने के लिये साधनों और उपायों का सुझाव देना;

(4) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अपनाई गई वित्तीय प्रणालियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करना, तथा उपयुक्त संशोधनों का सुझाव देना;

(5) ग्रामीण उद्योगों को प्रभावी विपणन सम्बन्धी सहायता देने के लिये नये उपायों का सुझाव देना,

(6) खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र की आवश्यकतायें पूरी करने के लिये उपयोगी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नये साधनों और उपायों का सुझाव देना; तथा

(7) खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र की वृद्धि और विकास के लिये किसी प्रकार के ऐसे अन्य उपाय की सिफारिश करना जिसे समिति द्वारा उपयुक्त समझा गया हो।

3. समिति अपना कार्य तत्काल ही आरम्भ कर देगी तथा अपनी अन्तिम रिपोर्ट 31 दिसम्बर, 1985 तक प्रस्तुत कर देगी। समिति जितनी आवश्यक समझे उतनी ही बैठकें देश में कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार बुला सकती है। समिति इसे सौंपे गये कार्य को पूरा करने के लिये अपनी निजी प्रक्रियायें निर्धारित करेगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतियां निम्नलिखित को भी भेजी जायें:—

1. समिति के सभी सदस्य।

2. अध्यक्ष, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, बम्बई।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग समिति के सभी व्ययों (गैर-सरकारी सदस्यों को दिये जाने वाले यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते सहित) को वहन करेगा तथा समिति के लिये आवश्यक सचिवालय सहायता भी प्रदान करेगा।

3. वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली।

4. योजना आयोग, बी० एम० आई० प्रभाग, नई दिल्ली।

5. प्रबन्ध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचना के लिये इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

जी० वेंकटरमणन, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 1 मार्च 1985

संकल्प

सं० 16/9/85-सीमेंट—उद्योग (विकास और विनियमन), अधिनियम, 1951 की धारा 18क और 25 के अधीन जारी किए गए सीमेंट नियंत्रण आदेश के अनुसार देश में सीमेंट के मूल्य और वितरण पर 1 जनवरी, 1968 से नियंत्रण लागू किया गया था। सीमेंट नियंत्रण आदेश के अधीन वितरण कार्य करने के लिए प्रारम्भ में भारतीय सीमेंट निगम को सीमेंट नियंत्रण आदेश के अधीन स्थापित सीमेंट विनियमन लेखा के रख-रखाव के लिए सीमेंट नियंत्रक के रूप में नामित किया गया था। इसके बाद उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक विकास विभाग में सीमेंट उद्योग सम्बन्धी कार्य को देख रहे संयुक्त सचिव को उनके सामान्य दायित्वों के अलावा सीमेंट नियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया था। किन्तु, भारतीय सीमेंट निगम सीमेंट विनियमन लेखे को बनाए हुए है और सीमेंट निगम के सीमेंट नियंत्रण प्रभाग में नियोजित अधिकारी और कर्मचारी सीमेंट नियंत्रक के अधीन कार्य करते रहे।

2. किन्तु केन्द्रीय सरकार ने निर्णय लिया है कि सीमेंट नियंत्रण संगठन का गठन एक अलग अस्तित्व के रूप में किया जाना चाहिए तथा इसे भारतीय सीमेंट निगम के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन नहीं रखा जाना चाहिए। तदनुसार केन्द्रीय सरकार ने यह घोषणा करते हुए कि 22 जुलाई 1976 को संकल्प सं० 1-16-78-सीमेंट जारी किया था कि भारत के राजपत्र में अधिसूचित की जाने वाली तिथि से सीमेंट नियंत्रण संगठन का गठन भारत सरकार के भाग ने लेने वाले सम्बद्ध कार्यालय के रूप में अलग से किया जाएगा। बाद में यह तारीख 1 जनवरी, 1977 को अधिसूचित की गयी थी।

3. 28 फरवरी, 1982 से शुरू की गयी सीमेंट के आंशिक विनियंत्रण सम्बन्धी योजना के अनुसरण में अतिरिक्त अधिष्ठापित क्षमता की अधिष्ठापना सहित उद्योग का बहुमुखी विकास हुआ है और सीमेंट का उत्पादन बढ़ा है। यह सुनिश्चय करने के लिए कि विद्युत, कोयले की उपलब्धता, वैगन आदि जैसी अवस्थापना कठिनाइयों के कारण सीमेंट के उत्पादन पर असर न पड़े, सीमेंट नियंत्रक का कार्य क्षेत्र काफी बढ़ गया है। इसके अलावा, सीमेंट नियंत्रक आदेश के अन्तर्गत विनियमनकारी कार्यों को कर रहे सीमेंट नियंत्रक से निम्नलिखित विकास कार्य देखने की अपेक्षा की गयी है :—

(1) कोयला, बिजली, रेल के डिब्बे आदि जैसी सीमेंट उद्योग की आधारिक सुविधाओं की आवश्यकताओं के लिए दीर्घावधि आयोजना और इस सम्बन्ध में सीमेंट एककों की दिन-प्रतिदिन की समस्याओं को निपटाना;

(2) समस्याओं का पता लगाने के लिए सीमेंट उत्पादन का प्रबोधन (मानीटर) करना और बाधाओं को दूर करने के लिए कार्रवाई करना;

(3) रुग्ण एककों के कार्य-निष्पादन का प्रबोधन करना और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करना;

(4) सीमेंट फैक्टरियों के आधुनिकीकरण के कार्यक्रम का आयोजन और प्रबोधन करना;

(5) अनुसंधान और उत्पादकता संवर्धन कार्यक्रमों आदि के लिए सीमेंट अनुसंधान संस्थान के साथ राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् का समेकित करना; और

(6) गुणवत्ता सीमेंट के सतत उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय मानक संस्थान के साथ समेकित करना।

4. यथा समय सीमेंट नियंत्रक के विकास सम्बन्धी क्रियाकलापों के अन्तर्गत बड़े क्षेत्र शामिल कर लिए जाएंगे। इसलिए यह उपयुक्त समय है कि सीमेंट नियंत्रक का कार्यालय को समुचित रूप से पुनः पदनामित कर दिया जाए। तदनुसार केन्द्रीय सरकार ने निर्णय लिया है कि दिनांक 1 मार्च 1985 से सीमेंट उद्योग के लिए सीमेंट नियंत्रक के कार्यालय को विकास आयुक्त का कार्यालय के रूप में पदनामित किया जाए।

5 विकास आयुक्त सीमेंट उद्योग के कार्यालय में अधिकारियों के पद के संशोधित पदनाम अनुबन्ध में बताए गए हैं। ये अधिकारी सीमेंट नियंत्रण आदेश के अधीन विकास कार्यों के अलावा जैसी भी आवश्यक होगा, अपना कार्य करेंगे। सीमेंट नियंत्रक के कार्यालय के पदनाम में परिवर्तन उद्योग और कम्पनी कार्य (औद्योगिक विकास विभाग), मंत्रालय में भारत सरकार के भाग न लेने वाले सम्बद्ध कार्यालय के रूप में इसके स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को प्रेषित की जाए और भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित की जाए।

बृजेन्द्र सहाय, संयुक्त सचिव

अनुबन्ध

सीमेंट उद्योग के लिए विकास आयुक्त के कार्यालय के रूप में पुन: पदनाम से सम्बन्धित सीमेंट नियंत्रण संगठन (सीमेंट नियंत्रक का कार्यालय) के अधिकारियों के संशोधित पदनाम।

विद्यमान पदनाम	संशोधित पदनाम
सीमेंट नियंत्रक	विकास आयुक्त, सीमेंट उद्योग
संयुक्त-सीमेंट नियंत्रक	संयुक्त विकास आयुक्त, सीमेंट उद्योग
उप-सीमेंट नियंत्रक	उप-विकास आयुक्त सीमेंट उद्योग
क्षेत्रीय सीमेंट नियंत्रक	क्षेत्रीय विकास आयुक्त, सीमेंट उद्योग
सहायक सीमेंट नियंत्रक	सहायक विकास आयुक्त सीमेंट उद्योग
सहायक क्षेत्रीय सीमेंट नियंत्रक	सहायक क्षेत्रीय विकास आयुक्त, सीमेंट उद्योग।

शिक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 फरवरी 1985

संकल्प

विषय—केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर में परामर्शदात्री समिति का गठन।

सं० एफ० 8-14/85-डी-IV/(भाषा)—केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर को उसके कार्यक्रम और परियोजनाएं बनाने में सलाह देने और सहायता करने के लिये एक परामर्शदात्री समिति का गठन करने के बारे में भारत के राजपत्र में छपे संकल्प संख्या एफ० 8-68/80-डी-IV (भाषा), दिनांक 25 फरवरी, 1981 का आंशिक संशोधन करते हुए भारत सरकार एतद्द्वारा समिति की संरचना और इसके कार्यकाल को निम्न प्रकार से संशोधित करती है :

गठन :

1.	शिक्षा मंत्रालय में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री।	अध्यक्ष
2.	प्रो० वी० आइ० सुब्रमणियम, कुलपति, तमिल विश्वविद्यालय, तंजावूर, तमिलनाडु।	सदस्य
3.	प्रो० अब्दुल अजीम, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, भाषा विज्ञान विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़-202001 (उ० प्र०)।	सदस्य
4.	प्रो० एस० के० वर्मा, आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।	सदस्य
5.	प्रो० अनन्तराय रावल, 2, श्री सदमा सोसायटी, नवरंगपुर, अहमदाबाद, गुजरात-380009।	सदस्य
6.	श्री एन० वी० कृष्ण वारियर, प्रधान सम्पादक, कुसुम वीरस्वी लवली, क्विलान-691005।	सदस्य
7.	डा० आर० के० मोहन्ता, प्रमुख, भाषा विज्ञान विभाग, गौहाटी विश्वविद्यालय, गौहाटी।	सदस्य
8.	डा० आर० के० शर्मा, कुलपति, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी।	सदस्य
9.	डा० बी० जी० मिश्र, निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा-5।	सदस्य
10.	श्री जे० वीराराघवन, सलाहकार (शिक्षा), योजना आयोग, नई दिल्ली-110001.	सदस्य
11.	निदेशक (भाषाएं), शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय।	पदेन सदस्य
12.	संयुक्त सचिव (आदिवासी), गृह मंत्रालय।	पदेन सदस्य
13.	वित्त सलाहकार, शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय।	पदेन सदस्य
14.	डा० फहमिदा बेगम, निदेशक, उर्दू प्रोन्नति ब्यूरो।	पदेन सदस्य
15.	निदेशक, केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर।	सदस्य सचिव

कार्य काल:

1. समिति के गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकाल उनकी नियुक्ति की तारीख से 3 वर्ष का होगा।
2. समिति के सरकारी सदस्य तब तक सदस्य बने रहेंगे जब तक वे उस पद को धारण करते हैं जिस पद के आधार पर वे समिति के सदस्य हैं।
3. यदि किसी सदस्य के त्यागपत्र अथवा मृत्यु के कारण कोई स्थान रिक्त होता है तो उस पद पर नियुक्त व्यक्ति 3 वर्ष के कार्यकाल के शेष समय तक पद धारण करेगा।

विचारार्थ विषय

(i) केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान को इसके कार्यक्रम और परियोजनायें बनाने में सलाह देना।

(ii) भाषाओं के शिक्षण, भाषाविज्ञान सम्बन्धी अनुसन्धान, शिक्षण सामग्री तैयार करना, पत्राचार पाठ्यक्रम आदि से सम्बन्धित मामलों में भारतीय भाषा संस्थान को सलाह देना।

(iii) केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान द्वारा तैयार किये गये शैक्षणिक कार्यक्रमों की वार्षिक समीक्षा करना।

(iv) केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किये जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के लिये प्राथमिकता निर्धारित करना।

(v) भारत और विदेशों में सर्वाय सम्बन्धी सुधार और वृत्तिका उन्नति के लिये उपाय सुझाना।

(vi) जनजातीय और सीमान्त भाषाओं की प्रोन्नति और विकास से सम्बन्धित मामलों में केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान को सलाह देना।

(vii) केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान द्वारा चलाई गई चालू परियोजनाओं की समीक्षा करना।

बैठक

समिति की बैठक वर्ष में कम-से-कम एक बार अवश्य होगी। तथापि अध्यक्ष जब आवश्यक समझें बैठकें बुला सकते हैं।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रतिलिपि निदेशक, केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मानस गंगोत्री मैसूर, सभी राज्य सरकारों, संघ शासित प्रशासनों, प्रधान मंत्री सचिवालय, नई दिल्ली, संसदीय कार्य मंत्रालय, संसद भवन, नई दिल्ली, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेजी जायें।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचना के लिये यह संकल्प भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित किया जाये।

आदर्श मिश्र, निदेशक (भाषायें)

समाज और महिला कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली–1, दिनांक 16 फरवरी, 1985

संकल्प

सं० 1–26/83–सी० एस० डब्ल्यू० बी०—समाज और महिला कल्याण मंत्रालय, के दिनांक 4 जुलाई, 1984 के संकल्प सं० 1–26/83–सी० एस० डब्ल्यू० बी० के क्रम में तथा दिनांक 28 सितम्बर, 1983 के समसंख्यक संकल्प में आंशिक आशोधन करते हुए भारत सरकार केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के सामान्य निकाय में निम्नलिखित सदस्यों को तत्काल नामित करती है :—

(1) श्रीमती एल० सरसीजा देवी—मणिपुर सरकार की प्रतिनिधि

(2) श्रीमती सी० पी० मुजाया, संयुक्त सचिव —श्री बी० पी० मारवा के स्थान पर समाज और महिला कल्याण मंत्रालय की प्रतिनिधि।

2. सामान्य निकाय का कार्यकाल 30 सितम्बर, 1986 तक होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रतिलिपि निम्नलिखित को भेजी जाये:—

1. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के सभी सदस्य।
2. सब राज्य सरकारें/संघ शासित प्रदेश प्रशासन।
3. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
4. राष्ट्रपति सचिवालय।
5. प्रधान मंत्री कार्यालय।
6. योजना आयोग।
7. लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय।
8. मन्त्रिमण्डल सचिवालय।
9. पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली।
10. लेखा परीक्षा निदेशक, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली।
11. कम्पनी कार्य विभाग, नई दिल्ली।
12. कम्पनियों के रजिस्ट्रार कंचनजूंगा बिल्डिंग, नई दिल्ली।
13. क्षेत्रीय निदेशक, कम्पनी विधि बोर्ड, कानपुर।
14. कार्यकारी निदेशक, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली।
15. राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्डों के सब अध्यक्ष।
16. सभी राज्यों के राज्यपाल/सभी केन्द्र शासित प्रशासनों के उप-राज्यपाल।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की साधारण जानकारी के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

सी० पी० मुजाया, संयुक्त सचिव।

निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 नवम्बर 1984

संकल्प

सं० ई–11017/11/83–हिन्दी—गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के 28 मई, 1979 के कार्यालय ज्ञापन सं० 11/20034/6/79–रा० भा० (ख–2) के अनुसरण में निर्माण और आवास मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति तथा हिन्दी सलाहकार समिति के निर्णय के अनुसार निर्माण और आवास मंत्रालय से संबंधित विषयों पर हिन्दी में मूल रूप से लिखी गई पुस्तकों/अनुदित पुस्तकों पर पुरस्कार देने की योजना आरम्भ की गई है।

2. योजना का नाम तथा उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य निर्माण और आवास मंत्रालय से संबंधित विषयों पर हिन्दी में मूल पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करना है। पुरस्कार "निर्माण और आवास मंत्रालय साहित्य पुरस्कार" के नाम से जाने जायेंगे।

3 पात्रता

पुरस्कार केवल भारतीय नागरिकों को दिये जायेंगे। इनमें केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के कर्मचारी भी भाग ले सकेंगे।

4. विषय

प्रत्येक दो वर्षों में निम्नलिखित विषयों पर मूलतः हिन्दी में लिखी गई अनुदित पुस्तकों पर पुरस्कार दिये जायेंगे।

1. आवास
2. नगर विकास
3 जल पूर्ति तथा स्वच्छता
4 निर्माण कार्य
5. भू-उपयोग उन्नयन कार्य
6 सरकारी सम्पदा का अनुरक्षण तथा प्रबन्ध
7. मुद्रण, प्रकाशन एवं लेखन सामग्री
8. स्थानीय स्वायत्त शासन

टिप्पणी :

सम्बन्धी अन्य विषयों पर लिखी गई, जो ऊपर विनिर्दिष्ट नहीं है, पुस्तकों पर भी विचार किया जायेगा। अनुदित पुस्तकों के सम्बन्ध में पुरस्कारों की राशियों को कुछ सीमा तक घटाया जा सकता है।

5. पुरस्कार

इस योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले पुरस्कार इस प्रकार हैं —

प्रथम पुरस्कार	7,000 रुपये (सात हजार रुपये)
द्वितीय पुरस्कार	5,000 रुपये (पांच हजार रुपये)
तृतीय पुरस्कार	3,000 (तीन हजार रुपये)

6. पुरस्कार वर्ष

(i) दो वित्तीय वर्षों को पुरस्कार वर्ष माना जायेगा।

(ii) यह पुरस्कार निर्माण और आवास मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से दिये जायेंगे।

7. पुरस्कारों का मूल्यांकन

(i) इस योजना के अन्तर्गत पुरस्कारों के लिये विचारार्थ प्राप्त पुस्तकें मूल्यांकन हेतु पहले एक मूल्यांकन समिति को भेजी जायेंगी जिसका गठन निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा किया जायगा। समिति के सदस्यों के नाम तथा मूल्यांकन समिति की कार्यवाही गुप्त रखी जायेगी।

(ii) मूल्यांकन समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पुरस्कार समिति के समक्ष रखी जायेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे।

1. केन्द्रीय निर्माण और आवास मंत्री	अध्यक्ष
2. भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार	सदस्य
3. संयुक्त सचिव (प्रशासन एवं राजभाषा कार्यान्वयन)	सदस्य
4. उपसचिव (प्रशासन एवं राजभाषा कार्यान्वयन)	सदस्य-सचिव
5. संयुक्त सचिव (नगर विकास)	सदस्य

(iii) इस मंत्रालय के उप सचिव (प्रशासन एवं राजभाषा कार्यान्वयन) पुरस्कार समिति के सचिव होंगे।

(iv) यह पुरस्कार समिति, मूल्यांकन समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के आधार पर पुरस्कार मंजूर करने के प्रयोजनार्थ पुस्तकों की उपयुक्तता के सम्बन्ध में विचार करेगी।

8. योजना के प्रयोजनार्थ मूल पुस्तक की परिभाषा

मूल हिन्दी पुस्तक से अभिप्राय वह पुस्तक है,

(क) जो प्रतियोगी एवं लेखक द्वारा स्वयं मूलतः हिन्दी में लिखी हुई हो

(ख) जो प्रतियोगी द्वारा अपनी शासकीय हैसियत में या अपने शासकीय कार्य के अंग के रूप में मूल रूप से हिन्दी में या किसी अन्य भाषा में नहीं लिखी गई हो।

(ग) जो प्रतियोगी द्वारा स्वयं अथवा किसी अन्य द्वारा उसकी शासकीय हैसियत में और उसके शासकीय कार्य के अंग के रूप में अंग्रेजी में अथवा किसी अन्य भाषा में पहले ही लिखी गई और/अथवा प्रकाशित पुस्तक या लेख का विषय अथवा संक्षिप्त अथवा सार रूप में तैयार किया गया हिन्दी पाठ न हो।

(घ) जो किसी सरकारी ठेके के अन्तर्गत या किसी सरकारी योजना के अनुसार लिखी गई पुस्तक न हो।

9 प्रविष्टियां

(i) पुरस्कार के विचारार्थ प्रकाशित पुस्तकें या टंकित प्रतियां दोनों ही स्वीकार की जायेंगी। प्रतियोगी लेखकों को निर्धारित प्रपत्र में यह घोषणा करनी होगी कि योजना के अन्तर्गत भेजी गई पुस्तक ऊपर दी गई परिभाषाओं के अनुसार मूल कृति है।

(ii) यदि कापीराइट का प्रश्न है तो लेखक को कापीराइट धारक की अनुज्ञा की मूल प्रति तथा एक अनुप्रमाणित सत्य प्रति प्रस्तुत करनी होगी। जांच के बाद मूल प्रति लेखक को लौटा दी जायेगी तथा अनुप्रमाणित प्रति विभाग में रिकार्ड के लिये रख ली जाएगी।

(iii) प्रतियोगी को पुस्तक की 5 मुद्रित या टंकित की हुई प्रतियां निर्धारित प्रपत्र में आवेदन-पत्र के साथ भेजनी होंगी। प्रविष्टियां तथा आवेदन-पत्र विधिवत भरकर उप सचिव (प्रशासन) एवं सचिव साहित्य पुरस्कार समिति, निर्माण और आवास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली—110011 को भेजनी होंगी।

(iv) निर्धारित तारीख के बाद प्रस्तुत की गई पुस्तकें पुरस्कार के लिये स्वीकार नहीं की जायेंगी।

(v) यदि मूल्यांकन समिति वर्ष के दौरान किसी भी पुस्तक को पुरस्कार देने योग्य नहीं समझती तो उस वर्ष कोई भी पुरस्कार नहीं दिया जायेगा।

(vi) पुरस्कार समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

(vii) यदि किसी पुस्तक पर अन्यत्र पुरस्कार मिल चुका है तो वह पुस्तक इस योजना के अन्तर्गत पुरस्कार के लिये पात्र नहीं होगी। लेखकों को प्रविष्टियां भेजते समय इस सम्बन्ध में निर्माण और आवास मंत्रालय को प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(viii) जिन पुस्तकों पर पुरस्कार के प्रयोजनार्थ एक बार विचार हो चुका है उन पर पुरस्कार की मंजूरी के सम्बन्ध में पुनः विचार नहीं किया जायेगा।

10 पुरस्कारों की घोषणा

(i) पुरस्कार विजेता लेखकों के नाम प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जायेंगे।

(ii) पुरस्कारों के लिये प्रतियोगिता में भाग लेने वाले व्यक्तियों को परिणाम के बारे में अलग से सूचित किया जायेगा।

(iii) यदि पुरस्कृत पुस्तक एक से अधिक लेखकों द्वारा लिखी गई है, तो पुरस्कार की राशि सभी में बराबर बांटी जाएगी।

11 योजना की प्रबन्ध व्यवस्था

(i) योजना का सचिवालय निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा किया जायेगा।

(ii) योजना तथा पुरस्कारों से सम्बन्धित सभी पत्रों पर कार्यवाही उप सचिव, (प्रशासन) एवं सचिव निर्माण और आवास साहित्य पुरस्कार समिति, निर्माण और आवास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा की जायेगी।

(iii) योजना से संबंधित कार्य करने वाले विभागीय अधिकारियों को भी समुचित मानदेय दिया जायेगा जिसका निर्णय सरकार द्वारा किया जायेगा।

12 योजना के लिये निधियां

इस योजना पर होने वाला व्यय जैसे कि ऊपर बताया गया है, निर्माण और आवास मंत्रालय के बजट अनुदान में से किया जायेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों, प्रधान मंत्री सचिवालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय राज्य सभा सचिवालय, और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि जनसाधारण की सूचना के लिये इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

बी० एम० गुप्ता, उप सचिव

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 फरवरी, 1985

सं० क्यू० 16011/2/84—डब्ल्यू० ई०—श्रम और पुनर्वास मंत्रालय की अधिसूचना संख्या क्यू०—16011/2/84—डब्ल्यू० ई०, तारीख 31 दिसम्बर, 1984 में अन्यों के साथ साथ राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली के महानिदेशक और कार्यकारी उपाध्यक्ष श्री बी० के० सिन्हा का नाम अधिसूचना जारी होने की तारीख से केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के सहयोजित सदस्यों के रूप में काम करने हेतु आम जनता की जानकारी के लिये अधिसूचित किया गया था।

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के नियम और विनियमों के नियम 4 (ii) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी कार्यालय का पद धारण करने के फलस्वरूप बोर्ड का सदस्य है तो उसकी सदस्यता तब समाप्त हो जायेगी जब वह उस कार्यालय के पद को छोड़ देगा और इस तरह हुए रिक्त-पद को उस कार्यालय में उसके उत्तरवर्ती पदधारी द्वारा भरा जायेगा।

अब कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव (विस्तार) डा० बी० वेंकटेशन भा० प्र० से०, को बैकुण्ठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबन्ध संस्थान का निदेशक और राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद् का महानिदेशक और कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, इसलिये यह आम जनता की जानकारी के लिये अधिसूचित किया जाता है कि इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से श्री बी० के० सिन्हा के स्थान पर डा० बी० वेंकटेशन राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद् का प्रतिनिधित्व करते हुए बोर्ड में काम करेंगे।

चित्रा चोपड़ा, निदेशक

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 26th January 1985

No. 20-Pres./85.—The President is placsed to approve the award of the Vishisht Seva Medal to the following personnel for distinguished service of a high order :—

VISHISHT SEVA MEDAL

1. Brigadier Mohinder Singh (IC-6605), Artillery.
2. Brigadier Naranjan Singh Khera (IC-6174), Infantry.
3. Brigadier Rangaswami Narasimhan (IC-7384), SC (Infantry), (JAT).
4. Brigadier Sher Jang Rathaur (IC-11024), Mech. Infantry.
5. Brigadeir Kunjunni Pillay Gopinathan Kurup (IC-5360), Signals, (Retd.).
6. Brigadier Krishan Kumar Sehgal (IC-7726), Elect. Mech. Engineers.
7. Brigadier Vishvas Sadashiv Joglekar (IC-7453), ASC.
8. Brigadier Sudhir Kumar Biswas (MR-00632), Army Medical Corps.
9. Brigadier Gopala Venkata Ramani (MR-00765), AMC.
10. Maj. Gen. Verghese John (IC-6181), ADC.
11. Brigadier Ananta Bhanu Gorthi (IC-8620), JAG's Department.
12. Col. Dharam Vir Bhagra (IC-8149), Artillery (Retired).
13. Col. Surat Singh Bajwa (IC-10029), Artillery.
14. Col. Tilak Raj Puri (IC-6172), Jammu & Kashmir Rifles, (Retired).
15. Col. Narendra Singh Negi (IC-6418), Kumaon Regiment (Retd.).
16. Col. Tarlochan Singh Rai (IC-7794), Infantry.
17. Col. Prithvi Nath (IC-8575), Infantry.
18. Col. Pratap Shankar Rao Shinde (IC-11189), Infantry.
19. Col. Ramdas Mohan (IC-12584), Infantry.
20. Col. Surendra Pal Singh (IC-13556), Parachute Regiment.
21. Col. Joginder Singh Rao (IC-11812), Engineers.
22. Col. Subhash Chandra Malik (IC-7948), Signals (*Posthumous*).
23. Col. Puthettu Zacharias Mani (IC-12059), Signals.
24. Col. Puran Singh Heet (IC-6740), Elect. & Mech Engg. (Retd.).
25. Brig. Vir Vatsal Gupta (IC-10097), Elect. & Mech. Engineers.
26. Col. Prem Krishna Das Kapur (IC-8560), Army Service Corps.
27. Col. Dhiren Bardoloi (MR-0641), Army Medical Corps.
28. Col. Mahadeb Pal (MR-1412), Army Medical Corps.
29. Col. Rajinder Kumar Suri (MR-01420), AMC.
30. Col. Harsaran Singh (MR-1427), Army Medical Corps.
31. Col. Ranjit Singh Verma (MR-1553), Army Medical Corps.
32. Col. Ashok Madhav Bhadbhade (IC-7845), Army Ordnance Corps.
33. Brig. Jacob Samuel (IC-8151), Army Ordnance Corps.
34. Lt. Col. Khusro Gustad Jalnawala (IC-7049), Armoured Corps.
35. Lt. Col Baldev Krishan (IC-13750), Grenadiers.
36. Col. Satish Chandra Chopra (IC-13963), Raj Rifles.
37. Lt. Col. Pramod Sharad Shekdar (IC-14553), Guards.
38. Lt. Col. Mangu Krishna Rao (IC-14748), JAT.
39. Lt. Col. Subhash Chandra Bhumaya Ambeo (IC-14776), Gorkha Rifles.
40. Lt. Col. Krishna Pal Singh (IC-15877), Rajputana Rifles.
41. Lt. Col. Bishnu Kumar Agarwal (IC-16259), JAK Rifles.
42. Lt. Col. Surendra Singh Hara (IC-18096), Kumaon.
43. Lt. Col. Suresh Babu Khanna (IC-18739), Maratha Light Infantry.
44. Lt. Col. Jang Bahadur Singh Mehta (IC-18769), SM. Dogra.
45. Lt. Col. Kailash Pati Narayan Singh (IC-20312), Punjab Regiment.
46. Lt. Col. Jai Singh (IC-20370), Sikh Light Infantry.
47. Lt. Col. Rabinder Singh Mann (IC-20637), 14 Rajput Regiment.
48. Lt. Col. Gurinderjit Singh Sidhu (IC-20747), Grenadiers.
49. Lt. Col. Gagan Kumar Varma (IC-21570), Rajputana Rifles.
50. Lt. Col. Basdev Singh Rajawat (IC-22145), Rajputana Rifles.
51. Lt. Col. Surinder Nath Mahajan (IC-15061), Engineers.
52. Lt. Col. Mathew Mammen (IC-15792), Enginyeers.
53. Lt. Col. Suresh Datt (IC-16607), Engineers.
54. Lt. Col. Wajahat Kabir (IC-19803), Engineers.
55. Lt. Col. Lilu Tahiliani (IC-12555), Signals.
56. Lt. Col. Rabinder Kumar Kashyap (IC-13538), Electrical and Mechanical Engineers.
57. Lt. Col. Surendra Kumar Jain (IC-13954), EME.
58. Lt. Col. Purshotam Vig (IC-16048), Elect. & Mech. Engineers.
59. Lt. Col. Shiam Pal Singh (IC-15975), Army Service Corps.
60. Lt. Col. Hiramani Barthwal (IC-16006), Army Service Corps.
61. Lt. Col. Jawahir Lal Miskeen (IC-18508), Army Service Corps.
62. Lt. Col. Santosh Kumar Sarker (MR-01119), SM, Army Medical Corps.
63. Lt. Col. Vijay Waman Tilak (MR-02325), Army Medical Corps.
64. Lt. Col. Pratyush Chandra Mallik (MR-02398), AMC.
65. Lt. Col. Vijay Sagar Madan (MR-02420), Army Medical Corps.
66. Lt. Col. Nevalakonar Manivannan (DR-10193), Army Dental Corps.
67. Lt. Col. (Miss) Boyapati Subbiah Naidu Saraswathi (NR-12657), MNS.
68. Lt. Col. Vinod Krishna Bhatnagar (V-62), Remount & Veterinary Corps.
69. Lt Col. Yashoda Nandan Upadhyaya (V-171), Remount and Veterinary Corps.
70. Major Kasargod Pallat Ramesh (IC-27029), Armoured Corps.
71. Major Surinder Singh Chowdhary (IC-12602), Grenadiers.
72. Major Anand Chaturvedi (IC-13770), Parachute Regiment.
73. Major Shambhu Sharan Pandey (IC-14733), Gorkha Rifles.
74. Major Fair Weather Mylliemngap (IC-20434), Gorkha Rifles.
75. Major Gaikwad Pratap Sohanrao (IC 20741), JAK Light Infantry.

76. Major Raghbir Singh Sanghera (IC-28478), Brigade of the Guards.
77. Major Gurmukh Singh Gill (IC-29581), Vr. C., Punjab.
78. Major Pavan Kumar Nair (IC-19043), Engineers.
79. Major Narinder Singh (IC-23846), Army Service Corps.
80. Major Karan Singh (IC-26108), Army Service Corps.
81. Major (Miss) Sokkalingham Chandra (NR-13890), MNS.
82. Major Krishnamoorthy Kothandapani (IC-29354), Int Corps.
83. Major Joginder Singh Bans (IC-22536), Army Ordnance Corps (Retired).
84. Captain Jasmer Singh Chandel (IC-30530), 4 Rajput.
85. Captain Ramkrishan Dahiya (IC-32371), The Mahar Regiment.
86. Captain Sadshiva Kunjira Bopaiya (IC-32600), 3 Gorkha Rifles
87. Lt. Col. Jayanta Kumar Kar (MR-01839), Army Medical Corps.
88. Lt. Col. Madan Mohan Gupta (MR-1939), Army Medical Corps.
89. Lt. Col. Mohinder Singh (MR-01974), Army Medical Corps.
90. Captain Ashok Pratap Singh (IC-33465), Garhwal Rifles.
91. Captain Kuldip Singh Sooch (IC-33010), Engineers.
92. Captain Rakesh Wahi (IC-38671), Engineers
93. Captain Paramjit Singh (IC-30151), Signals.
94. Captain Sarvjit Singh (SI-2413), EME.
95. Captain (Mrs.) Jasbir Kaur Grewal (NR-15325), MNS.
96. Deputy Commandant Surai Kumar Tamang (AR-93), Assam Rifles
97. Deputy Superintendent of Police Sushil Kumar, CRPF.
98. 2/Lt. Ravi Kumar Chaudhary (IC-40727), Signals.
99. JC-51147 Subedar Major Thanghlira, Assam Regiment
100. IC-69035 Subedar Major Darbara Singh, Sikh Regiment.
101. JC 60279 Subedar Major Sukh Ram Barba, Bihar.
102. IC 91800 Subedar Matu Singh, Rajputana Rifles.
103. JC-91791 Subedar Om Prakash Dhull Engineers.
104. JC-97923 Subedar Avtar Singh, Signals.
105. IC-116037 Subedar Haribaran TA, Singnals.
106. JC-53084 Subedar Praful Kumar Badajena, AMC.
107. JC-85286 Subedar Prem Chand Shad, Intelligence Corps.
108 1565393 Havildar Marut Uttekar, Engineers
109. 1542560 Lance Naik Sovana Chandra Rao Yadav Engineers.
110. Captain Jerome Castelino—60082 Z
111. Captain Harchand Singh—60109 K.
112. Captain Sathir Singh Khanna (00530 B).
113. Captain Suhas Vasudeo Purohit—60122 R.
114. Commander Pranab Kumar Roy—60083 A.
115. Commander Ramesh Kumar Ahluwalia (00612 R).
116. Commander Srinivasa Varadachar Gopalachari (00713 W)
117 Commander Kurupath Vasupurath Vijayagopalan—00785 H
118. Commander Arun Prakash Bhattacharya—60138 A.
119. Commander Ravinder Krishan Bhatia (40251 B),
120. Commander Gulshan Rai Sarna (40279 T).
121. Commander Birinder Singh Randhawa—40298 K.
122. Commander Palathanvectil Kunhamedkutty Mohamed (40303 Y).
123. Commander Sat Pal Sharma (50156 R).
124. Commander Jandhyala Venkata Avadhanulu—50277 R.
125. Lt. Cdr. Sharif Ahmad Khan (40450-F).
126. Lt .Cdr. Chitrapu Udaya Bhaskar—50321 R.
127. Acting Capt. Gurbachan Singh Kohli—70064 K.
128. Surgeon Lieutenant Commander (Mrs.) Veena Anand Khandekar (75273 Z).
129. Lt. (Special Duties Air Engineering) Ujjal Singh, 86022 B.
130. Lt. (Special Duties Marine Engineering) Onkar Chand—85056 H, NM.
131. Commander (Special Duties Bosun) Darshan Lal—83160 Z, NM.
132. Ponnachath Radhakrishnan Nair, Master Chief Petty Officer (Photo) I, 046913 Y.
133. Surya Prasad Singh, Master Chief Petty Officer, First Class, 048084 H.
134. Kunniyur Preman, Master Chief Electrical Artificer Radio, Second Class (092612-H).
135. Wing Cdr. Ramesh Chander Gosain, Vr. C. (9447), Flying (Pilot).
136. Sqn. Ldr. Arvind Kumar Nagalia (11633), Flying (Pilot).
137. Wing Cdr. Harbans Perminder Singh ,Vr. C. (7485), Flying (Navigator).
138. Wing Cdr. Manikam Chandrasekaran (8471), Flying (Navigator).
139. Wing Cdr. Dinesh Chander Nigam (7938), Aeronautical Engineering (Electronics).
140. Sqn. Ldr. Manmohan Kumar Rana (10688), Aeronautical Engineering (Electronics).
141. Sqn. Ldr Samarendra Nath Dasgupta (12448), Aeronautical Engineering (Electronics).
142. Wing Cdr. Satyamurti Sridhar (7885) AE (M).
143. Flight Lieutenant Bellipund Krishnamurthy Murali (13728), Aeronautical Engineering (Mechanical).
144. Flying Officer Nav Ratan Shukla (16475), Aeronautical Engineering (Mechanical).
145. Group Captain Sudesh Pal Vohra (5643), Administrative.
146. Wing Cdr Dinesh Chandra Dhyani (6590), Administrative /ATC.
147. Wing Cdr Bawa Guru Pratap Singh Bhalla (7391), Administrative.
148. Wing Cdr Kumbhapati Venugopala Krishna Sastry (7513) Administrative.
149 Wing Cdr Avinapudi Vijay Pal (9190), Administrative.
150. Wing Cdr. Shiv Lal Chopra (9631), Administrative.
151. Wing Cdr. Subramanian Natarajan (6447), Logistics.
152. Wing Cdr. Jagdish Singh Dalal (9228), Logistics
153 Sqn Ldr. Thakadiyil Joseph Mathai (8597) Logistics
154. Sqn Ldr. Kiranchandra Indravadan Trivedi (11788) Meteorological.
155. Wing Cdr. Sudhanshu Kumar Adaval (6486-K), Medical/PC.
156. Wing Cdr. Kukkehalli Prabakar Hegde (7253), Medical
157. 221926-F Warrant Officer Ramesh Chander Prabhakar MT Fitter
158. 227674-K Warrant Officer Raman Gowd Rampuram Venkata/Instrument Fitter.

No. 21-Pres./85.—The President is pleased to approve the award of Bar to Vishisht Seva Medal to the undermentioned officer for distinguished service of a high order :—

1. Brigadier Prem Paul Singh (IC-11542) VSH, Infantry

No 22-Pres./85.—The President is pleased to approve the award of 'KIRTI CHAKRA' to the undermentioned persons for acts of conspicuous gallantry :—

1 G/154788 Br Gde I Ravinder Nath Guleria (*Posthumous*)

(Effective date of award : 6th April, 1983)

G/154788 Br Gde I Ravinder Nath Guleria was supervising snow clearance on road Sector Dras-Kargil of Srinagar-Leh Road during April 1983.

On the 6th April, 1983, when Shri Guleria was guiding the dozers and snow cutters, suddenly a small mass of snow slipped and formed into a massive avalanche. The sentry gave an alarm Shri Ravinder Nath Guleria instead of seeking safety ran to warn others who could not perceive the danger in time. When the slide finally settled it was found that four men had been partly buried in the snow as they had escaped to a relatively safer place due to the timely warning given to them. Three men were, however, found missing. One of them was Shri Ravinder Nath Guleria.

Shri Ravinder Nath Guleria thus exhibited cool courage and selflessness of the highest order at the cost of his own life.

2. Shri Bachan Singh Sadhrao, Chief Engineer (P) Swastic

(Effective date of the award : 10th September, 1983)

On the 10th/11th September 1983, a disastrous landslide ooccurred at Manul in North Sikkim in which 65 Border Roards Personnel got either buried or washed away. The road was also completely damaged at several places.

Unmindful of the grave risk to his personal safety, Shri Bachan Singh Sadhrao CE(P) Swastic of Border Roads Organisation, walked over the alignment crisscrossing breached road formations and wading through nallahs in order to restore confidence in his work force After assessing the magnitude of damage, the restoration work was immediately taken in hand He climbing over the hills even in rains, also inspected the two damaged bridges which were threatened by the slide, and gave directions for remedial measures Had this timely action not been taken, not only these two bridges would have been washed away but restoration of road communication to Chungthang would also have been impeded.

Thus under the able Leadership of Shri Bachan Singh Sadhrao, the restoration of vehicular traffic well accomplished ahead of schedule.

Shri Bachan Singh Sadhrao, Chief Engineer (Project) Swastic thus displayed conspicuous courage, leadership and devotion to duty of a high order.

3 Shri R B Kulkarni, SUPERINTENDING ENGINEER (CIVIL))

(Effective date of the award : 10th September, 1983)

On the 10th/11th September, 1983 a disastrous landslide occurred at Manul in North Sikkim in which family quarters of GREF personnel, huts of casual labourers and Government Stores sheds were completely washed away 65 lives and property amounting to more than a lakh of rupees were lost.

On hearing of the news of this incident Shri R B. Kulkarni immediately issued instructions for deployment of all available manpower and resources for expeditious clearance of slides In order to achieve the difficult task, Shri R. B Kulkarni himself walked over rough terrain and damaged road at great risk to his own life and supervised the work till it was completed

Shri R B Kulkarni thus exhibited organising capacity, indomitable courage and devotion to duty of a high order

4 Captain Anil Malhotra (IC-40114) Kumaon

(Effective date of the award : 3rd January, 1984)

On the 3rd Jan 1984, when 2/Lieutenant (Now Captain) Anil Malhotra of 7 Kumaon who was on annual leave, and his brother were walking towards the Lions Club Ground in Sector 18C Chandigarh, two desperadoes came on a scooter and suddenly waylaid them at gun point and told them to surrender their valuables. Captain Anil Malhotra kept cool and displayed great presence of mind and caught hold of the desperado's hand in which he was holding a revolver, Although the assailant hit on his face several times, he kept fighting the desperado and did not allow him to use his revolver. His brother, Shri Sunil Malhotra, in the meantime started grappling with the other desperado. The two brothers ultimately succeeded in overpowering the desperadoes who were found to be proclaimed extremists.

Captain Anil Malhotra thus displayed exemplary courage, intelligence and presence of mind in apprehending the criminals at great risk to his own life.

5. Shri Jai Ram, Contigency Paid Caretaker, Aligarh HPO. (*Posthumous*)

(Effective date of the award : 21st February, 1984)

On the 21st February, 1984, at about 7.00 p.m., Shri Jai Ram, Caretaker, Aligarh Head Post Office, alongwith Shri Munshi Lal Verma, Assistant Treasurer, was carrying cash to the main treasury of the Aligarh Post Office, from a nearby building. Due to electricity failure in the area, it was dark. The cash box was on the head of Shri Jai Ram and Shri Munshi Lal Verma was walking behind with a patromax in his hand. As soon as they reached the gate of the building, two miscreants attempted to snatch the cash box containing, Rs 2,22 291 40. Shri Jai Ram resisted and held on to the box. One of the miscreants at this stage fired a pistol at the chest of Shri Jai Ram. The first robber picked up the cash box and tried to run way. Shri Munshi Lal Verma attacked the robbers with the lighted petromax but they managed to reach the spot where their scooter was parked. A third accomplice who was waiting, tried to start the scooter But miraculously the scooter fell down and the robbers fell under it Taking advantage of this opportunity Shri Munshi Lal Verma rained blows on them with his petromax, recovered the cash box and returned to the Head Post Office. In the meantime Shri Jai Ram succumbed to his injuries.

Shri Jai Ram thus displayed indomitable courage and extreme devotion to duty in his attempt to save Government money at the cost of his own life.

6. Lieutenant Colonel Tejindar Singh (IC-15868), The Garhwal Rifles.

(Effective date of the award : 5th June, 1984)

On the night of the 5th/6th June, 1984, during Operation 'Blue Star' Lieutenant Colonel Tejindar Singh, Commanding Officer, 9 Garhwal Rifles, was ordered to establish a foothold in one portion of an important religious complex Lieutenant Colonel Tejindar Singh with two companies under his command moved to the place of action. He carried out reconnaissance under effective fire of the terrorists with complete disregard for his personal safety and planned the operation meticulously On the night of the 5th/6th June, 1984 at 2200 hours troops of 9 Garhwal Rifles led by Lieutenant Colonel Tejindar Singh entered the building disregarding heavy volume of fire coming on them. The operation at this stage slowed down due to heavy casualties to his troops as a result of effective fire of the terrorists Lieutenant Colonel Tejindar Singh personally led his battalion and attacked the building Under his courageous leadership and personal example of bravery his men continued to expand the foothold gained inside the building Whenever the move was held up due to accurate fire of the terrorists Lieutenant Colonel Tejindar Singh was himself present to inspire and guide his men even exposing himself to the fire of the terrorists Swift action taken by Lieutenant Colonel Tejindar Singh took the terrorists completely by surprise and resulted in the capture of 256 terrorists

In this operation, Liuetenant Colonel Tejindar Singh displayed outstanding courage leadership and devotion to duty of an exceptionally high order.

7. Lieutenant Colonel Israr Rahim Khan (IC-22068), Guards.

(Effective date of the award : 5th June, 1984)

Lieutenant Colonel Israr Rahim Khan was commanding 10 Guards during operation 'Blue Star'. On the night of the 5th/6th June, 1984, his Battalion was tasked to capture a portion of a heavily fortified and strongly held religious place. His Battalion was subjected to intense fire of automatic weapons from the fortified positions of terrorists, in which it suffered heavy casualties. Undaunted by the risk to his life, Lieutenant Colonel Israr Rahim Khan went forward, inspired his men and personally led them towards the objective. By exhibiting resolute determination and exemplary courage in the face of intense fire of the terrorists, Lieutenant Colonel Israr Rahim Khan successfully led his troops in this operation.

In this operation Lieutenant Colonel Israr Rahim Khan displayed resolute determination, exemplary courage, dynamic leadership, bravery and devotion to duty of an exceptionally high order.

8 Major Hitesh Kumar Palta (IC-17091), Kumaon. (*Posthumous*)

(Effective date of the award : 5th June, 1984)

On the night of 5th/6th June, 1984, during anti-terrorist operations, Major Hitesh Kumar Palta was commanding 'A' Company of 9 Kumaon His company was given the task of capturing the ground floor of a massive three storied building which was heavily fortified and was strongly held by the terrorists. Having realised that there was no time for detailed reconnaissance, Major Hitesh Kumar Palta managed to blast through the rear gate and quickly elliminated the opposition on the ground floor to facilitate other companies to go in for the other two floors and the roof. Major Hitesh Kumar Palta throughout this operation remained in the forefront and showed most conspicuous bravery which inspired his men to accomplish this difficult task in spite of heavy opposition He also succeeded in capturing a large number of terrorists alongwith some of their important leaders.

On the early morning of the 7th June, 1984 some of the terrorists managed to sneak back into a part of the building They killed one of the sentries and wounded two others Major Hitesh Kumar Palta in complete disregard for his own safety went out with a small party to clear the terrorists from one of the rooms of the building. In this action, he was hit by a machine gun burst of the terrorists and was killed instantaneously.

In this operation Major Hitesh Kumar Palta displayed conspicuous bravery, resolute determination, tremendous initiative, inspiring leadership and devotion to duty of an exceptionally high order.

9. Captain Hardev Singh IC-27619), Mechanised Infantry

(Effective date of the Award : 5th June 1984)

Captain Hardev Singh was the Company Commander of a Mechanised Company in the operations against terrorists in Puniab On the night of the 5th/6th June, 1984, his company was tasked to support infantry action in flushing out the terrorists from a well fortified hideout. As his Armoured Personnel Carrier entered the building, it was hit by anti tank fire of the terrorists. Captain Sardev Singh mustered many of his men and leading them personally, joined the assaulting infantry and was wounded in the process. In spite of being very badly wounded he continued to rally the men and urged them on to achieve their aim.

In this action Captain Hardev Singh displayed conspicuous bravery, resolute determination, inspiring leadership and devotion to duty of an exceptionally high order.

10. Captain Vinod Kumar Naik (IC-31011), Garhwal Rifles

(Effective date of the award : 5th June, 1984)

On the night of the 5th/6th June, 1984, during anti-terrorist operation, Captain Vinod Kumar Naik was carrying out the duties of a platoon commander. He was assigned the task of capturing a portion of strongly held complex. Captain Vinod Kumar Naik tried to blast the gate with the help of an RCL gun but the jeep caught fire due to the bursting of a phosphorous bomb lobbed at it by the terrorists. Captain Vinod Kumar Naik quickly shifted the point of action to another gate where too his platoon came under effective small arms fire of the terrorists. He was able to make a hole in the gate and in the wall of the complex and thereafter personally led his men through the narrow gap. He kept inspiring and encouraging his men in spite of heavy fire from the terrorists. Unmindful of the danger involved, Captain Vinod Kumar Naik led his men in clearing terrorists from room after room of the building. Because of the exemplary courage, valour and outstanding leadership displayed by Captain Vinod Kumar Naik in carrying out the dangerous task, his unit was able to attain its objective.

In this action Captain Vinod Kumar Naik displayed conspicuous bravery, tremendous initiative, dogged determination, cool courage, inspiring leadership and devotion to duty of an exceptionally high order.

11. JC-98884 Subedar Karuppan Palath Raman Ravi, The Madras Regiment (*Posthumous*)

(Effective date of the award : 5th June, 1984)

On the night of the 5th/6th June, 1984, during operation 'Blue Star', 26 Madras was tasked to secure the Southern Wing of an important building complex. Subedar Karuppan Palath Raman Ravi, one of the platoon commanders of 'B' Company was ordered to lead the operation. He had barely gone 5 meters when he was hit by a burst of machine gun fire. Unmindful of his serious injury, he continued to lead the advance of his platoon. In this process, he was hit by a burst of machine gun fire a second time and fell down. He managed to crawl to a position from where he could return the fire on the terrorists. He partially succeeded in silencing the machine gun post which was interfering with the advance of his platoon. However, he was hit a third time. Subedar K. P. Raman Ravi's body was recovered later.

In this action Subedar Karuppan Palath Raman Ravi displayed conspicuous gallantry, cool courage, resolute determination, tremendous initiative, leadership, devotion to duty of an exceptionally high order and made the supreme sacrifice in the highest traditions of the Army.

12. IC-84441 Subedar Mahavir Singh Yadav, Parachute Regiment (*Posthumous*)

(Effective date of the award : 5th June, 1984)

On the night of the 5th/6th June, 1984, Subedar Mahavir Singh Yadav of 1 PARA was the Second-in-Command of 'C' Team group during Operation 'Blue Star'. The team group was ordered to lead the operation and flush out terrorists from an important building complex. The entire complex was heavily fortified and strongly held by highly motivated terrorists His team entered the building through the main entrance but came under heavy fire of the terrorists, in which his Group Commander Major P. C. Katoch was wounded. Subedar Mahavir Singh Yadav personally organised his evacuation but in the process, he was hit by a machine gun burst Disregarding his personal injury, he quickly assumed command of the Team Group inspired his men and personally led them to accomplish the assigned mission. He was hit a second time by machine gun fire while leading the mission. However, without caring for his injury or personal safety, he still insisted on remaining with his Team Group and refused to be evacuated. He died later due to excessive loss of blood.

In this action Subedar Mahavir Singh Yadav exhibited conspicuous gallantry, indomitable courage, very fine leadership, devotion to duty of an exceptionally high order and made the supreme sacrifice in the highest traditions of the Army.

13. JC-122394 Naib Subedar K. George Koshy, Madras (*Posthumous*)

(Effective date of the award : 5th June, 1984)

On the night of the 5th/6th June, 1984, during anti-terrorists operations, 26 Madras was tasked to flush out terrorists from a well fortified hide out. The task involved was clearing a large number of rooms on the first floor of the building. Naib Subedar K. George Koshy was the leading platoon Commander of 'C' Company during this operation. Due to intense fire of the terrorists, it was not possible to

use a ladder to reach the first floor. Inspite of the great hazard he successfully climbed on to the first floor of the building in the face of heavy fire of automatic weapons. Immediately on reaching the first floor, his platoon commenced mopping up operations. He cleared two bunkers and rushed towards the third one. While he was in the process of clearing this bunker, he was hit by a machine gun burst and seriously wounded Realising that any halt at this stage would reduce the momentum of the operation, he moved forward undaunted and unruffled by the terrorist fire. In the process, he was repeatedly hit by machine gun fire and succumbed to his injuries before he could be evacuated.

In this action Naib Subedar K. George Koshy displayed conspicuous gallantry, dogged determination, cool courage, exemplary leadership, devotion to duty of an exceptionally high order and laid down his life in the highest traditions of the Army.

14. 3355827 Havildar Sarwan Singh, Guards (Posthumous)

(Effective date of the award : 5th June, 1984)

On the night of the 5th/6th June, 1984, during operation 'Blue Star', Havildar Sarwan Singh was the Section Commander of Number 10 Platoon 'D' Company of 10 Guards. His Company was tasked to flush out terrorist from portion of an important building complex. The building was heavily fortified and strongly held by terrorists. On reaching the staircase leading into the building complex, Havildar Sarwan Singh's section came under very heavy fire of the terrorists. The terrorists kept lobbing hand grenades through the ventilators making advance extremely difficult. At this stage, Havildar Sarwan Singh realised that unless weapons firing from the basement were silenced any further advance would not be feasible. With total disregard to his personal safety he crawled to the basement and silenced the automatics which were firing from there by lobbing hand grenades inside. In this gallant act, Havildar Sarwan Singh was hit by a burst of machine gun fire from the basement. He thus made the supreme sacrifice of laying down his life in accomplishing his mission.

In this action Havildar Sarwan Singh displayed conspicuous gallantry, leadership, cool courage, tremendous determination, devotion to duty of an exceptionally high order and laid down his life in the best traditions of the Army..

15. 3970902 Havildar Chander Pal Thakur, (Posthumous) Dogra Regiment

(Effective date of the award : 5th June, 1984)

On the night of the 5th/6th June, 1984, during operation 'Blue Star', Havildar Chander Pal Thakur, as Non Commissioned Officer of a Mechanical Transport platoon was ordered to assume the command of a rifle section with the task of clearing the terrorists from an important building complex. The building complex was heavily fortified and strongly held by the terrorists. They came under very heavy and effective fire of the terrorists. In this action he was hit by a machine gun burst. Unmindful of his injury and without caring for his personal safety he crawled up to the machine gun post of the terrorists and destroyed it by lobbing a hand grenade inside it. Thereafter, he repeatedly went forward for clearing the terrorists from other rooms. In the process he got another burst of machine gun fire of the terrorists and was killed instantaneously.

In this action Havildar Chander Pal Thakur displayed rare courage, great qualities of leadership, personal bravery and laid down his life in the highest traditions of the Army.

16. 2574620 Havildar Varghese Mathew, Madras Regiment

(Effective date of the award : 5th June, 1984)

On the 5th June 1984 during anti-terrorists operation, 26 Madras was assigned the task of flushing out the terrorists from a well fortified and strongly held complex The building complex had been converted into a fortress by the terrorists and every inch of the building was covered by automatic weapons 'D' Company was the leading company and was tasked to secure the route and subsequently to capture the ground floor of a building in the Southern Wing. Havildar Varghese Mathew was the platoon Havildar of one of the platoons of 'D' Company The company came under very heavy fire from all the directions and finding a route other than the main gate became a difficult task. Havildar Varghese Mathew remained always in the lead and maintaining the momentum of the advance. Once the Company reached the building to secure the Southern Wing, Havildar Varghese Mathew with a section moved forward to clear the bunkers. As he approached a room, he was hit by a machine gun burst. A Molotov Cocktail got spread all over his body and caught fire. Though he himself was burning furiously, he lobbed hand grenades inside the rooms occupied by the terrorists thus killing them on the spot. In the process he himself suffered serious burns.

In this action Havildar Varghese Mathew displayed conspicuous courage, bravery, strong determination, devotion to duty and leadership of a high order.

17. 13610803 Paratrooper Jagpal Singh, Parachute Regiment

(Effective date of the award : 5th June, 1984)

On the night of the 5th/6th June, 1984, during anti-terrorists operation in Punjab, Paratrooper Jagpal Singh formed part of 'C' Team Group and was tasked to capture a portion of a building which was heavily fortified and strongly held by the terrorists. The team group was subjected to very high and intense machine gun fire while it was attempting to enter the building through the main entrance. Paratrooper Jagpal Singh was selected as the leading scout. While trying to take up a fire position along the route of advance, he was suddenly confronted with three terrorists who instantaneously fired at him He quickly covered himself and returned the fire killing all the three terrorists. Paratrooper Jagpal Singh thereafter evacuated serious casualties to a place of safety. While he was trying to evacuate his Team Commander Major P C Katoch, he was hit by shrapnel in both eyes. Remaining unruffled and without caring for his wounds or personal safety, he carried his Team Commander for another two hundred meters before he finally collapsed due to sheer exhaustion and loss of blood.

In this action Paratrooper Jagpal Singh displayed conspicuous courage, tremendous determination, bravery, very fine example of comaraderie and devotion to duty of an exceptionally high order.

S. NITAKANTAN, Dy. Secy. to the President

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

DEPARTMENT OF HOME AFFAIRS

(REHABILITATION WING)

New Delhi-110011, the 31st January 1985

RESOLUTION

No 6/2/85-DNK Desk—The Government of India have decided to re-constitute the Dandakaranya Development Authority set up vide erstwhile Ministry of Rehabilitation's Resolution dated 12-9-1958 as amended vide Resolutions No 6/5/DNK/59 dated 4-3-1960 and 6/7/DNK/60 dated 20-6-60 and 13-9-60 Accordingly, Para 2 of the Resolution may be substituted as under :—

2. The composition of the Authority shall be as follows:—

(1) Chairman.

MEMBERS

(2) Chief Administrator, Dandakaranya Project.

(3) Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh or his nominee.

(4) Chief Secretary, Government of Orissa or his nominee.

(5) Chief Secretary, Government of West Bengal or his nominee.

(6) Joint Secretary/Addl. Secretary in the Ministry of Home Affairs dealing with Tribal Welfare.

(7) Joint Secretary in the Ministry of Home Affairs dealing with the rehabilitation of displaced persons

(8) Representative of Union Ministry of Finance.

The Chief Administrator, Dandakaranya Project shall be the Chief Executive Officer of the Authority. A whole time officer will be appointed as Secretary of the Authority.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to :

All State Governments/All Ministries of Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Union Public Service Commission, Prime Minister's Secretariat, Secretary to President of India, CAG of India, All Accountant Generals & Comptrollers, Deputy Controller of Accounts (Rehabilitation), Mansingh Road, New Delhi, Railway Board, DGS&D, Chief Administrator, Dandakarnya Project, Koraput (Orissa).

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. K. BASU, Jt. Secy.

MINISTRY OF INDUSTRY & COMPANY AFFAIRS

(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT)

New Delhi, the 18th February 1985

RESOLUTION

No. 6(4)/82-KVI(I).—The Government of India set up the Khadi and Village Industries Commission (KVIC) in 1957 for the promotion of Khadi and village industries. The scale of activities of the KVIC has since increased considerably, keeping pace with the development of the khadi and village industries sector. Also, new organisations have come into existence for the promotion of industrial and rural development. In view of this, it is considered necessary to review the role played by the KVIC, its policies and programmes and also its systems and procedures. For this purpose, the Government of India have decided to constitute, with immediate effect, a Committee consisting of the following persons :—

CHAIRMAN

1. Shri M. Ramakrishnaayya, formerly Chairman of NABARD and Deputy Governor of Reserve Bank of India.

MEMBERS

2. Chairman, KVIC.
3. Additional Secretary and Financial Adviser, Ministry of Industry and Company Affairs.
4. Joint Secretary in charge of KVI Division, Department of Industrial Development.
5. Adviser (VSI), Planning Commission.
6. Chief Executive Officer, KVIC.
7. Prof. Kamta Prasad, Indian Institute of Public Administration.
8. Shri Harbhajan Singh, Chief Manager, State Bank of India, New Delhi.
9. Shri V. Padmanabhan, Chairman, Certification Committee, KVIC.
10. A Scientist/Technologist.

MEMBER-SECRETARY

11. Shri Y. A. Panditrao, Deputy Chief Executive Officer, KVIC.

2. The terms of reference of the Committee shall be as follows :—

(1) To review the role played by the KVIC, as an apex level organisation, in fulfilling the functions and tasks assigned to it, and to suggest the role it should play in future;

(2) To review the policies and programmes initiated by the KVIC, to ascertain the extent to which they have produced the desired results, to point out their shortcomings, if any, to suggest better ways of implementation and monitoring, and also to suggest new policies and programmes based on the felt needs of the KVI sector;

(3) To examine the institutional and organisational needs of the KVI sector, to recommend changes, if any, which are required to be made in the existing institutional and organisational structure, to define and suggest effective linkages between the various organisations which are engaged in promoting rural development, to suggest ways and means of securing better coordination and better working relationships between the KVIC and the State KVI Boards in achieving their common aims and objectives;

(4) To review the financial systems and procedures adopted by the KVIC and to suggest suitable modifications;

(5) To recommend ways of giving effective marketing support to village industries;

(6) To suggest new ways and means of harnessing science and technology to meet the requirements of the KVI Sector; and

(7) To recommend any other measures which are considered appropriate by the Committee for the growth and development of the KVI Sector.

3. The Committee shall begin its work at once and shall submit its final report by 31st December 1985. The Committee may meet as often as is considered necessary and at any place in the country convenient to it. The Committee shall evolve its own procedures for fulfilling the task entrusted to it.

ORDER

ORDERED that a copy of the resolution may be communicated to :—

1. All Members of the Committee.
2. Chairman, KVIC, Bombay. The KVIC shall meet all expenses of the Committee (including TA/DA to non-official members) and also provide the necessary secretariat assistance to the Committee.
3. Ministry of Finance, New Delhi.
4. Planning Commission, VSI Division, New Delhi.
5. Managing Director, State Bank of India.

ORDERED also that the resolution may be published in the Gazette of India for general information.

G. VENKATARAMANAN, Jt. Secy.

New Delhi, the 1st March 1985

RESOLUTION

No. 16/9/85-Cem.—Control over price and distribution of cement in the country was imposed with effect from 1st January, 1968 in terms of the Cement Control Order, 1967 issued under Section 18G and 25 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951. For carrying out the distribution functions under the Cement Control Order initially Cement Corporation of India was designated as the Cement Controller to maintain the Cement Regulation Account set up under the Cement Control Order. Later on the Joint Secretary in the Ministry of Industry, Department of Industrial Development dealing with Cement Industry was appointed as the Cement Controller in addition to his normal duties. Cement Corporation of India however, continued to maintain the Cement Regulation Account and the officers and staff employed in the Cement Control Division in the Cement Corporation remained functionally under the Cement Controller.

2. The Central Government, however, decided that the Cement Control Organisation should be constituted into a separate entity and should not be under the administrative control of Cement Corporation of India. Accordingly the Central Government issued Resolution No. I-16|70-Cem. dated the 22nd July, 1976 declaring that the Cement Control Oranisation was to be constituted into a non-participating Attached office of the Government of India with effect from the date to be notified in the Gazette of India, separately. This date was later notified as 1st of January, 1977.

3. Following introduction of scheme of partial decontrol of cement with effect from 28th February, 1982, there has been an all round growth of the industry including installation of additional installed capacity and increase in production of cement. In order to ensure that the production of cement does not suffer on account of infrastructural constraints like power. availability of coal, wagons etc., the role of cement Controller has been substantially enlarged. Cement Controller besides discharging the regulatory functions under the Cement Control Order is also required to look after the following development functions :—

(i) Planning for the requirements of infrastructural facilities of the Cement Industry, such as coal, power, railway wagons, etc., in the long run and also sorting out cement units day-to-day problems in this regard;

(ii) Monitoring cement Production in order to diagnose the problems and to take action for removing impediments;

(iii) Monitoring the performance of sick units and to take remedial action considered necessary;

(iv) Planning & monitoring the Programme of modernisation of the cement factories;

(v) Co-ordinating with Cement Research Institute of India, National Productivity Council, for Research and productivity enhancement Programmes etc.,; and

(iv) Co-ordinating with ISI to ensure continued Production of quality cement.

4. In due course of time the development functions of the Cement Controller would embrace larger areas. It is therefore, considered appropriate that the Office of the Cement Controller may appropriately be re-designated. The Central Government have accordingly decided that with effect from 1st March, 1985, the office of the Cement Controller be redesignated as the Office of the Development Commissioner for cement Industry.

5. The revised designations of the post of officers in the Office of the Development Commissioner for Cement Industry are indicated in the Annexure. These officers will discharge their functions under the Cement Control Order along with the development functions that may be necessary. The change of desgination of the Office of Cement Controller will not effect its status as a non-participating attached office of the Government of India in the Ministry of Industry and Company Affairs (Department of Industrial Development).

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution may be communicated to all concerned and that it may be published in the Gazette of India.

BRIJENDRA SAHAY
Joint Secretary to the Govt. of India

ANNEXURE

REVISED DESIGNATION OF THE OFFICERS OF THE CEMENT CONTROL ORGANISATION (OFFICE OF THE CEMENT CONTROLLER ON REDESIGNATION AS THE OFFICE OF DEVELOPMENT COMMISSIONER FOR CEMENT INDUSTRY

Existing Designation	*Revised Designation*
Cement Controller	Development Commissioner for Cement Industry.
Joint Cement Controller	Joint Development Commissioner for Cement Industry.
Deputy Cement Controller	Deputy Development Commissioner for Cement Industry.
Regional Cement Controller	Regional Development Commissioner for Cement Industry
Assistant Cement Controller	Assistant Development Commissioner for Cement Industry.
Assistant Regional Cement Controller	Assistant Regional Development Commissioner forCement Industry

MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

(DEPTT. OF EDUCATION)

New Delhi, the 15th February 1985

RESOLUTION

SUB : *Advisory Committee in the Central Institute of Indian Languages, Mysore—Setting up of—*

No. F.8-14/85-D.IV(L).—In partial modification of the Resolution N. F. 8-68/80-D.IV(L), dated the 25th February 1981 published in the Gazette of India regarding the setting up of an Advisory Committee to advise and assist the Central Institute of Indian Languages, Mysore in formulating its programmes and projects, the Government of India hereby revise the composition and tenure of the Committee as under.:

COMPOSITION

CHAIRMAN

1. Union Education Minister in the Ministry of Education.

MEMBERS

2. Prof. V. I. Subramoniam,
Vice-Chancellor, Tamil University,
Tanjavur, Tamilnadu.

3. Prof. Abdul Azim, Professor and Chairman,
Department of Linguistics, Aligarh
Muslim University, Aligarh-202 001 (U.P.).

4. Prof. S. K. Dass,
Department of Modern Indian
Languages, University of Delhi,
Delhi.

5. Prof. Anantarao Rawal,
2 Sri Sadma Society,
Navarangapura,
Ahmedabad, Gujarat-380 009.

6. Shri N. V. Krishna Warrior
Chief Editor,
Kunkumam Weekly, Thevally
Quilon-691 009.

7. Dr. R. K. Mohanta,
Head of Department of Linguistics
Gauhati University,
Guwahati.

8. Dr. R. K. Sharma,
Vice-Chancellor,
Sampoornanand Sanskrit University,
Varanasi.

9. Dr. B. G. Misra,
Director,
Kendriaya Hindi Sansthan,
Agra-5.

MEMBER EX-OFFICIO

10. Shri J. Veeraraghavan,
Adviser (Education),
Planning Commission,
New Delhi-110 001.

11. Director (Languages),
Ministry of Education & Culture.

12. Joint Secretary (Tribals),
Ministry of Home Affairs.

13. Financial Adviser,
Ministry of Education & Culture.

14. Dr. Fahmida Begum,
Director,
Bureau for Promotion of Urdu

MEMBER-SECRETARY

15. Director, Central Institute of
Indian Languages, Mysore.

TENURE :

1. The tenure of the non-official members of the Committee shall be 3 years from the date of appointment.

2. The official members of the Committee shall continue as members so long as they hold office by virtue of which they are members of the Committee.

3. If a vacancy arises on the Committee due to resignation, death etc., of a member, the new member appointed in that vacancy will hold office for the residue of the tenure of 3 years.

TERMS OF REFERENCE :

(i) To advise the CIIL in the formulation of its plans, programmes and projects;

(ii) To advise the CIIL in matters relating to teaching of languages, linguistic research, production of teaching material, correspondence courses etc.

(iii) To review annually the academic programmes made by the CIIL.

(iv) To lay down the priorities for various programmes to be undertaken by the CIIL annually;

(v) To recommend measures for faculty improvement including training in India and abroad and career advancement.

(vi) To advise CIIL in matters relating to promotion and development of tribal and border languages; and

(vii) To review the commissioned projects undertaken by the CIIL.

MEETING :

The Committee shall meet not less than once a year. Meetings may however, be convened by the Chairman at any time as may be deemed necessary.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to the Director, Central Institute of Indian Languages, Manasagangotri, Mysore, All State Governments and Union Territory Administration, Prime Minister Secretariat, New Delhi, Ministry of Parliamentary Affairs, Parliament House, New Delhi, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, President's Secretariat, and All Ministries and Department of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

ADARSH MISRA
Director (Languages)

MINISTRY OF SOCIAL & WOMEN'S WELFARE

New Delhi-1, the 16th February 1985

RESOLUTION

F. No. 1-26/83-CSWB.—In continuation of Ministry of Social and Women's Welfare Resolution No. 1-26/83-CSWB, dated 4 July 1984, and in partial modifications of Resolution of even No. dated 28 September 1983, the Government of India is pleased to nominate the following Members on the General Body of the Central Social Welfare Board, with immediate effect:—

(1) Smt. L. Sarasija Devi—Representative of Government of Manipur.

(ii) Smt. C. P. Sujaya, Joint Secretary—Representative of Ministry of Social and Women's Welfare vice Sh. V. P. Marwah.

2. The tenure of the General Body is up to 30th September, 1986.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to:—

1. All Members of the Central Social Welfare Board.
2. All the State Governments/Union Territories.
3. All the Ministries/Departments of the Govt. of India.
4. President Secretariat.
5. Prime Minister's Office.
6. Planning Commission.
7. Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariats.
8. Cabinet Secretariat.
9. Press Information Bureau, Shastri Bhavan, New Delhi.
10. The Director of Audit, Central Revenues, New Delhi.
11. Department of Company Affairs, Shastri Bhavan, New Delhi.
12. The Registrar of Companies, Kanchajunga Building, Barakhamba Road, New Delhi.
13. The Regional Director, Company Law Board, Kanpur.
14. The Executive Director, Central Social Welfare Board, Jeevan Deep, Sansad Marg, New Delhi-110001.
15. All Chairman, State Social Welfare Advisory Boards.
16. Governors of All States/Lt. Governors of all U.Ts.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

C. P. SUJAYA, Jt. Secy.

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

New Delhi the 17th November 1984

RESOLUTION

No. E-11017/11/83-Hindi.—In pursuance of Ministry of Home Affairs, Department of Official Languge Letter No. 11/20034/6/79-O.L. (B 2) dated 28th May, 1979 and as per decision taken in the Official Language Implementation Committee and Hindi Salahakar Samiti of Ministry of Works and Housing. It has been decided to introduce an award scheme for writing original books in Hindi/translating books in Hindi on the subjects relating to Nirman Aur Awas Mantralaya.

2. *Name and object of the Scheme*

The object of the scheme is to encourage writing of original Hindi books on the subjects relating to the Ministry of Works and Housing. The award will be called Nirman Aur Awas Sahitya Puraskar.

3. *Eligibility*

The awards (Puraskars) will be given to Indian citizens only. Employees of Central/State Govts. will also be eligible to participate in the scheme.

4. *Subjects*

Awards will be given once in two years for writing the books in Hindi in original books translating in Hindi on the following subjects :—

(iii) Water Supply & Sanitation

(i) Housing

(ii) Urban Development

(iii) Water Supply & Sanitation

(iv) Construction Work

(v) Land Use, Horticulrue

(vi) Management and Matentenance of Government Estates.

(vii) Printing, Publication and Stationery

(viii) Local Self Government.

Note :—Books written on other related matters, which are not specifically mentioned above, will also be considered. In case of translated books, the amount of awards can be reduced to some extent.

5. *Awards*

The awards to be given under the scheme are as follows;

First Award Rs. 7000/-

Second Award Rs. 5000/-

Third Award Rs. 3000/-

6. *Award year*

(i) Two Financial years will be treated as award year.

(ii) These awards will be given on behalf of Government of India, Ministry of Works and Housing.

7. *Evaluation of Books*

(i) The Books received for consideration for the awards under the scheme will be first sent to Evaluation committee of experts for evaluation, constituted by the Ministry of Works and Housing.

The names of the Members of the committee and the proceedings of Evaluation Committee will be kept secret.

(ii) The report submitted by the Evaluation Committee will be placed before the Awards Committee comprising the following;

Chairman

1. Union Minister of Works & Housing

Members

2. Hindi Adviser to the Govt. of India

3. J. S. (Admn. & O. L. Implementation) Ministry of Works & Housing.

4. D. S. (Admn. & O. L. Implementation) Works & Housing

5. J. S. (Urban Development) Ministry of Works & Housing

(iii) The Deputy Secretary (Admn. & Official Language Implementation) of this Ministry shall be the Secretary of the Awards Committee.

(iv) The Awards Committee will consider the suitability of the books for the purpose of granting awards on the basis of the reports submitted by the Evaluation Committee.

(a) Which has been written by a competitior/Author *the scheme.*

An original book in Hindi means a book :

(a) Which has been written by a competitior/Author himself originally in Hindi.

(b) Which is not written originally in Hindi or in some other Language by the competitor in his official capacity and as a part of his official works and/or is not a detailed/abridged or summarised Hindi version of the book or Article already written/published by the competitor or someone else.

(c) Which is not a book written under some Govt. contract or according to some Government Scheme.

9. *Entries*

(i) Published books or typed copies both will be accepted for the awards. Competitor/Writer will have to declare in the prescribed proforma that the book sent under the scheme is an original work/Translated work as per definitions above.

(ii) If copyright is involved, the Author shall have to submit in original, permission of the copyright holder alongwith one attested true copy thereof The original will be returned to the Author after verification while the copy retained by the Ministry for record.

(iii) The competitors will be required to sent 5 printed/typed copies of the books along with an application in the prescribed form. The entries and the application form duly filled in will be sent to the Deputy Secretary, Admn. and Secreatary Nirman Aur Awas Sahitya Puraskar Samiti, Ministry of Works and Housing, Nirman Bhawan, New Delhi.

(iv) The Books Submitted after the prescribed date will not be accepted for award.

(v) If the Evaluation Committee does not find any book worth granting award during the year, no award will be given during that year.

(vi) The decision of the Award Committee will be final.

(vii) If any book has been awarded elsewhere, the same will not be eligible for an award under this scheme. The authors will have to furnish a certificate in this regard to the Ministry of Works and Housing while submitting the entries.

(viii) Books once considered for the purpose of award will not be considered again for the grant of award.

10. *Announcement of Grant of the awards*

(i) The names of the writers winning the awards will be announced through leading Newspapers.

(ii) All individuals competing for awards will be intimated separately about the results.

(iii) If the book winning award is written by more than one writer, the amount of the award will be shared equally by all of them.

11. *Management of the Scheme*

(i) Arrangements for running the scheme will be made by the Ministry of Works and Housing.

(ii) All correspondence about the scheme and the awards will be handled by the Deputy Secretary (Admn.) and Secretary Nirman Aur Awas Sahitya Puraskar Samiti, Ministry of Works and Housing, Nirman Bhawan, New Delhi-110011.

(iii) The officials of the Ministry looking after the work of the scheme will also be granted suitable honorarium which will be decided by the Government.

12. *Funds for the Scheme.*

The expenditure incurred on tthe scheme, as enumerated above will be met out of the budget grant of the Ministry of Works and Housing.

ORDER

ORDERED that a copy of the resolution will be communicated to all State Governments, Union Territories, Prime Minister Secretariat, Cabinet Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariat and all the Ministries & Departments of Government of India.

ORDERED further that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

B. M. GUPTA, Dy. Secy.

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 12th February 1985

No. Q-16011/2/84-WE.—Whereas in the Ministry of Labour and Rehabilitation Notification No. Q-16011/2/84-WE dated 31st December, 1984, the name of Shri B. K. Sinha, Director General and Executive Vice Chairman, National Council for Cooperative Training, New Delhi, among others, was notified, for information of the Public, to serve on the Central Board for Workers Education as co-opted member with effect from the date of issue of the Notification.

Whereas in accordance with the Rule-4(iii) of the Rules and Regulations of the Central Board for Workers Education, where a person is a member of the Board by virtue of any office held by him, his membership shall be terminated when he ceases to hold that office, and the vacancy so caused shall be filled by his successor to that office.

Whereas now Dr. V. Venkatesan, IAS, Joint Secretary (Extension), Ministry of Agriculture has been appointed as the Director of Vaikunth Mehta National Institute of Cooperative Management, Pune and Director General and Executive Vice-Chairman of the National Council for Cooperative Training, it is notified, for information of the public, that Dr. V. Venkatesan, IAS shall serve on the Board representing the National Council for Cooperative Training *vice* Shri B. K. Sinha with effect from the date of issue of this Notification.

CHITRA CHOPRA, Director

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1985